चिंतन

उपासना स्थल कानून का सभी करें सम्मान

उपासना स्थलों से संबंधित मामले पर सुनवाई या कोई आदेश पारित न करने की हिदायत अदालतों को देकर सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक विवादों पर विराम लगा दिया है। हाल के दिनों में अनेक उपासना स्थलों से जुड़े मामले के कोर्ट पहुंचने के बाद से सांप्रदायिक सदभाव को धक्का लगने की आशंका बढ़ गई है। शीर्ष अदालत ने देश की सभी अदालतों को धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों पर दावा करने संबंधी नए मुकदमों पर विचार करने और लंबित मामलों में कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से अगले आदेश तक रोक दिया। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट कहा कि क्योंकि मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन है, इसलिए पीठ समझती है कि अगले आदेश तक कोई नया मुकदमा दर्ज न किया जाए। उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश से विभिन्न हिंदू पक्षों द्वारा दायर लगभग 18 मुकदमों में कार्यवाही पर रोक लग गई है। इन मुकदमों में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों की मूल धार्मिक प्रकृति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया है। वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा वर्ष 2020 में दायर मुख्य याचिका में उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है। कहा गया है कि उपासना स्थल कानून संविधान के धर्मनिरपेक्षता और बराबरी जैसे मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, इस कानून से हिंदुओं को अधिक नुकसान पहुंचता है। इस याचिका का विरोध करते हुए जमियत उलेमा-ए-हिंद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया और कई एक्टिविस्ट्स भी अपनी याचिकाएं दाखिल की थीं। जब देश में अयोध्या विवादित ढांचा को लेकर आंदोलन अपने चरम पर था, तो 18 सितंबर 1991 को केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उपासना स्थल क़ानून संसद से पारित कराया था। उपासना स्थल क़ानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस क़ानून के सेक्शन 3 में वर्णित है कि इस कानून के तहत, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल या किसी समुदाय के पूजास्थल के स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं कर सकता। सेक्शन 4 (2) में लिखा है कि अगर किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव को लेकर कोई केस, अपील, या अन्य कार्रवाई 15 अगस्त 1947 के बाद किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, या प्राधिकरण में लंबित है, तो वह केस रद कर दिया जाएगा। ऐसे किसी मामले में दोबारा केस या अपील दायर नहीं की जा सकती। इस कानून में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि यह मामला आज़ादी से पहले ही अदालत में लंबित था। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान मई 2022 में अहम मौखिक टिप्पणी में कहा था कि प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 (उपासना स्थल क़ानून) 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार, किसी भी संरचना के धार्मिक चरित्र की जांच करने पर रोक नहीं लगाता है। इसके बाद से ऐसे मामले अदालतों में बढ़ने लगे। दरअसल, उपासना स्थल विवाद को बढ़ावा देना बर्र के छत्ते में कंकड़ मारने जैसा है। उपासना स्थल विवाद खत्म होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश पर रोक लगाकर उपासना स्थल विवादों पर फिलहाल विराम लगाने की कोशिश की है। नए आदेश आने तक सभी को उपासना स्थल कानून का सम्मान करना चाहिए।

जीसीसी का बड़ा हब बनता भारत

अर्थव्यवस्था
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों विभिन्न देशों की सरकारें जीसीसी और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को ध्यान में रखकर अपने वैश्विक उद्योग-कारोबार के रिश्तों के लिए नीति बनाने की डगर पर बढ़ रही हैं। भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमता और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध एवं विकास और जबरदस्त स्टार्टअप माहौल के चलते अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने ग्लोबल इन हाउस सेंटर (जीआईसी) तेजी से शुरू करते हुए दिखाई दे रही हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तेजी से बढ़ने से भारत में ख्याति प्राप्त वैश्विक फायनेंस और कॉमर्स कंपनियां अपने कदम तेजी से बढ़ा रही हैं। दुनिया में मेड इन इंडिया और ब्रांड इंडिया की पहचान बन रही है।

हाल ही में नैसकॉम और जिनोव की ओर से जारी इंडिया जीसीसी, लैंडस्केप रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा हब बनते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल देश में 1700 जीसीसी हैं जिनसे 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश में जीसीसी का बाजार आकार 5.4 लाख करोड़ रुपये का है और यह 2030 तक 8.4 लाख करोड़ रुपये का होगा। दुनिया के 50 प्रतिशत जीसीसी सिर्फ भारत में हैं। भारतीय जीडीपी में भारत के जीसीसी का योगदान एक प्रतिशत है और 2030 तक यह 3.5 प्रतिशत हो जाएगा। ज्ञातव्य है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जीसीसी जॉब मार्केट में नया चलन है। आईटी सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, एचआर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

इन दिनों पूरी दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारें भी जीसीसी और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को ध्यान में रखकर अपने वैश्विक उद्योग-कारोबार के रिश्तों के लिए नीति बनाने की डगर पर बढ़ रही हैं। भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमता और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध एवं विकास और जबरदस्त स्टार्टअप माहौल के चलते अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने ग्लोबल इन हाउस सेंटर (जीआईसी) तेजी से शुरू करते हुए दिखाई दे रही हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तेजी से बढ़ने से भारत में ख्याति प्राप्त वैश्विक फायनेंस और कॉमर्स कंपनियां अपने कदम तेजी से बढ़ा रही हैं। पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया और ब्रांड इंडिया की चमकीली पहचान बन रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि दुनिया की बड़ी कंपनियों के द्वारा जीसीसी से देश के टैलेंटस पूल के इस्तेमाल और देश को दुनिया की प्रमुख ज्ञान आधारित व सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था बनाने में बौद्धिक सम्पदा, शोध और नवाचार का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में 12 नवंबर को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के द्वारा प्रकाशित विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक (डब्ल्यूआईपीआई) रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत ने तीन प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपी)- पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों के लिए वैश्विक शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है।

बौद्धिक सम्पदा में अविष्कार, रचनात्मक कार्य, कलात्मक कार्य, डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, शोध व नवाचार शामिल हैं। दुनिया भर में यह रेखांकित हो रहा है कि भारत ने कॉपीराइट अधिकारों के उल्लंघन पर गतिशील निषेधात्मक आदेश जारी कर कॉपीराइट की नकल रोकने के सशक्त प्रयास किए हैं। इसके अलावा आईपी-आधारित कर रियायतें देकर और नकली उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाकर भी भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया है।

गौरतलब है कि इस रिपोर्ट के अनुसार पेटेंट के लिए भारत 64,480 आवेदनों के साथ विश्व स्तर पर छठे स्थान पर हैं। यह देश के लिए पहली बार है। पेटेंट कार्यालय ने वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में 149.4 प्रतिशत अधिक पेटेंट भी प्रदान किए। रिपोर्ट में भारत के औद्योगिक डिजाइन अनुप्रयोगों में 36.4 प्रतिशत वृद्धि को भी दर्शाया गया है जो भारत में उत्पाद डिजाइन, विनिर्माण और रचनात्मक उद्योगों की वृद्धि के अनुरूप है। वर्ष

2018 और 2023 के बीच, पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन आवेदन दोगुने से अधिक हो गए, जबकि ट्रेडमार्क दाखिल करने में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वैश्विक स्तर पर भारत ट्रेडमार्क फाइलिंग में चौथे स्थान पर है, जिसमें 2023 में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत का ट्रेडमार्क कार्यालय दुनिया भर में सक्रिय पंजीकरण के मामले में दूसरे स्थान पर है जहां भारी संख्या में पंजीकरण कराए जाते हैं। इसमें 32 लाख से अधिक ट्रेडमार्क प्रभावी हैं, जो वैश्विक तौर पर ब्रांड संरक्षण में देश की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

इसी तरह बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े अन्य वैश्विक संगठनों की रिपोर्टों में भी भारत लगातार ऊँचाई प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहा है। सितंबर 2024 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2024 की रैंकिंग में 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने 39वाँ स्थान हासिल किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि जो भारत जीआईआई रैंकिंग में 2015 में 81वें स्थान पर था, अब वह 39वें स्थान पर पहुंच गया है। जीआईआई रैंकिंग में भारत की प्रगति दुनियाभर में रेखांकित हो रही है। जीआईआई 2024 के तहत भारत निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है भारत मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भी पहले स्थान पर है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) क्लस्टर रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। भारत के प्रमुख शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में सूचीबद्ध हैं और भारत अमृत संपत्ति तीव्रता में वैश्विक स्तर पर सातवें स्थान पर है। इतना ही नहीं दुनिया की प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योग मंडल 'यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स' के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में वैश्विक बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक 2024 में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर रेखांकित हुआ है। यह बात महत्वपूर्ण है कि बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचार के बहुआयामी लाभ होते हैं। इनके आधार पर किसी देश में विभिन्न देशों के उद्यमी और कारोबारी अपने उद्योग-कारोबार शुरू करने संबंधी निर्णय लेते हैं। यद्यपि भारत के विकास में बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े तीन आधारों की बढ़ती भूमिका दिखाई दे रही है, लेकिन इन आधारों से विकास को ऊंचाई देने के लिए इस क्षेत्र में सरकार व निजी क्षेत्र का परिव्यय बढ़ाना होगा।

इस समय भारत में आरएंडडी पर जीडीपी का करीब 0.67 प्रतिशत ही व्यय हो रहा है। दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब दो फीसदी शोध एवं विकास में व्यय किया जाता है। हमें अपने औद्योगिक ढांचे में बदलाव लाना होगा, अपनी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बदलाव को आकार देना होगा, अपनी कंपनियों पर प्रतिस्पर्धी होने का दबाव बनाने के लिए व्यापार नीति का इस्तेमाल करना होगा तथा सार्वजनिक शोध प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। हम उम्मीद करें कि सरकार जीसीसी से संबंधित लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 और डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा प्रकाशित डब्ल्यूआईपी रिपोर्ट 2024 के साथ-साथ बौद्धिक सम्पदा, शोध व नवाचार से संबंधित वर्ष 2024 की विभिन्न रिपोर्टों के मद्देनजर देश में बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचार को नई ऊंचाई देने के लिए आगे बढ़ेगी। इससे जहां दुनियाभर से और अधिक जीसीसी भारत की ओर आते हुए दिखाई दे सकेंगे। साथ ही इससे देश को वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

(लेखक व्यवसाय अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

मुद्दा
बलदेव राज भारतीय

बांग्लादेश संकट : हिन्दू आखिर किसके भरोसे

विश्व के अनेक देशों में आज युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, वैसा ही एक संकट आज बांग्लादेश में उत्पन्न हो रहा है। इस संकट का बीजारोपण आज नहीं बल्कि धर्म और जिहाद की आड़ में वर्षों पहले ही रोपित हो चुका था। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार न केवल मानवाधिकारों का हनन है बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए भी चुनौती बन गया है। बीते कुछ वर्षों में, बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों का उभार हुआ है, और उनके हाथों में सत्ता की चाबी आने के बाद से स्थिति और भी विकट हो गई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक लंबे समय से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पुजारियों पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, और हिंदू परिवारों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो लोग धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें जान से मार दिया जाता है। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भय और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि विश्व मानवाधिकार आयोग वाले कहीं सोए पड़े हैं। उन्हें हिन्दू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार दिखाई नहीं पड़ रहे। जिन लोगों को भारत में रहने पर डर लगता था, उन्हें शायद बांग्ला देश की घटनाएं सुकून देने वाली लगती होंगी। हिंदू धर्मस्थलों पर हमले की घटनाएं बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों की योजनाबद्ध साजिश को उजागर करती हैं। इन घटनाओं का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सरकारी तंत्र इन पर अंकुश लगाने की बजाय इन्हें बढ़ावा दे रहा है।

मोहम्मद युनुस जैसे नेताओं के प्रभाव के तहत, पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान से हथियार खरीदे जा रहे हैं और देश में बड़े पैमाने पर सैन्य सामग्री का संग्रह हो रहा है। इस प्रकार के कदम न केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। हथियारों और सैन्य सामग्री का यह संग्रह स्पष्ट रूप से किसी बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करता है। क्या यह भारत के खिलाफ किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या बांग्लादेश में उभरते चरमपंथी तत्व क्षेत्र में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं? ये सवाल गंभीर चिंताओं को जन्म देते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश का साझा इतिहास और भूगोल इस संकट के प्रभाव को सीमित करने की अनुमति नहीं देता। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भी लाखों लोग भारत में शरण लेने को मजबूर हुए थे। वर्तमान में भी यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई, तो भारत को एक नए शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश से पलायन कर आए शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि भारत में सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से ही संसाधनों की कमी है। इन परिस्थितियों में, बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन स्थानीय आबादी के साथ संघर्ष का कारण बन सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबी सीमा है, जो कई जगहों पर छिद्रपूर्ण है।

ऐसे में चरमपंथी तत्वों और उनके विचारों का भारत में प्रवेश करना आसान हो सकता है। यह स्थिति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की शांति और स्थिरता को बाधित कर सकती है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर बांग्लादेश सरकार चरमपंथी ताकतों पर अंकुश लगाने में विफल रहती है, तो यह द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर कर सकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधारने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बांग्लादेश पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार संगठनों को इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर पड़ेगा। भारत सरकार को भी चाहिए कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर वह बांग्लादेश को चेतावनी दे और वहां पर हालात सही होने तक समस्त भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दे। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि उसकी आंतरिक स्थिरता और विकास तभी संभव है, जब वह सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करे। भारत को भी अपने पड़ोसी देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा।

(लेखक हरिभूमि प्रकाशन एवं उसके प्रकाशक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हर युग में प्रासंगिक 'महादेव'

संकलित
दर्शन

कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आदियोगी शिव का प्रशंसक हूं। प्रशंसक होने का अर्थ है कि उसकी भावनाओं से जुड़ जाना। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं शिव को महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं, क्योंकि उनका योगदान काल के परे है। इसलिए वे सदा प्रासंगिक हैं। किसी भी पीढ़ी में किसी इंसान की प्रशस्ति उस योगदान के लिए की जाती है, जो उसने उस पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियों के लिए किया है। इस धरती पर कई ऐसे लोग आए हैं, जिन्होंने दूसरों के जीवन में योगदान किया है। जो उस समय की जरूरत के अनुसार था, वह उसे लेकर आया। गौतम बुद्ध के समय समाज कर्मकांडों में लिपटा हुआ था। जब उन्होंने बिना किसी कर्मकांड के आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू की तो वह लोकप्रिय हो गए। अगर समाज में कर्मकांड नहीं होते, तो वह इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी, यदि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध नहीं होता, तो वह सिर्फ अपने आसपास की जगहों पर प्रभावशाली होते। आदियोगी या शिव का महत्व यही है कि उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ। उन्होंने मानव चेतना को इस प्रकार से विकसित करने के साधन और तरीके दिए कि वे हर युग में प्रासंगिक रहें। हमने उन्हें महादेव की उपाधि दी, क्योंकि उनके योगदान के पीछे की बुद्धि, दृष्टि और ज्ञान अद्भुत है।

बिना लड़ाई किए धैर्य से भी जीता जा सकता है

संकलित
प्रेरणा

महाभारत में युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए राजसूय यज्ञ किया गया था। इसके लिए सभी राजाओं पर जीत हासिल करनी थी। इस काम के लिए अर्जुन ने विजय यात्रा शुरू कर दी। जहां-जहां अर्जुन जा रहे थे, वहां के राजाओं को पराजित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो राजा अर्जुन की सेवा स्वीकार कर रहे थे, अर्जुन उन पर कर लगाकर आगे बढ़ रहे थे। इस यात्रा के दौरान अर्जुन कुरु नाम के राज्य में पहुंचे। अर्जुन पहुंचे तो कुरु राज्य के द्वारपाल और लोगों ने अर्जुन से कहा कि आप इस नगर को युद्ध करके जीत नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति इस नगर में युद्ध के लिए प्रवेश करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा इस राज्य को वरदान मिला हुआ है। अर्जुन ने सोच-विचार करके कहा कि ठीक है, मैं यहां युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की बात सुनकर लोगों ने कहा कि युद्ध के अलावा अगर आपकी कोई इच्छा है तो वह पूरी हो सकती है। अर्जुन ने कहा कि मैं हमारे भाई युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूं। मुझे आपसे युद्ध नहीं करना है। आप बस मुझे कर के रूप में थोड़ा सा धन दे दीजिए। ये धन लेकर मैं लौट जाऊंगा। लोगों ने अर्जुन की बात मानकर थोड़ा सा धन दे दिया। धन लेकर अर्जुन दूसरे राज्य की ओर बढ़ गए। अर्जुन ने संदेश दिया है कि हर शत्रु को युद्ध करके पराजित नहीं किया जा सकता है, कुछ शत्रुओं के सामने बुद्धि और धैर्य का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि का उपयोग करते हुए भी शत्रुओं की हराया जा सकता है।

अंतर्मन

आज की पाती

पाक के पास जा रहा बांग्लादेश

1971 के मुक्ति संग्राम के बाद भारत के सैन्य समर्थन से पाकिस्तान से आजाद हुआ बांग्लादेश इन दिनों भारत से दूर और पाकिस्तान के पास जाता नजर आ रहा है। इस साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही वहां सियासी उथल-पुथल चल रही है और माहौल में भारत के खिलाफ नफरत घोलकर पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाई जा रही है। साफ लगते है कि बांग्लादेश अपने और भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार रहा है। और संदेश देना चाहता है कि वह अब दक्षिण एशियाई राजनीति को भारत के नजरिए से नहीं देखेगा। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि अब बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी वीजा शुल्क के उनके देश की यात्रा कर पाएंगे। दोनों देशों में सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की भी घोषणा की गई है। - संकेत अग्रवाल, भाटापारा

ट्रेंड

संविधान का अपमान शर्मनाक

महाराष्ट्र के परभणी मोमाबत्तरन बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा एवं संविधान का किया गया अपमान अति-निन्दनीय व शर्मनाक। वहाँ की सरकार, ऐसे जातिवादी व अलाकतांत्रिक तत्वों के विरुद्ध तुरन्त सख्त कानूनी कार्रवाई करे।
-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

दलितों पर अत्याचार

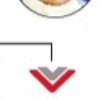

आज हाथरस नगर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। कुलदीप के दौरान उन्होंने जो बर्बरता उसने सहने प्रताड़ित कर रखा दिया। इस परिवार को हताश और निराश भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की लड़ाई को दिखाते हैं।
- राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

कानून का शासन लाएंगे

क्रिसमस 2 का इतिहास अमेरिका के लिए एक महान दिन है क्योंकि यह अन्याय विभाजन के रूप में जाने जाने वाले हथियारीकरण को समाप्त कर देगा। अब हम सभी अमेरिकियों के लिए कानून का शासन बहाल करेंगे।
-डोनाल्ड ट्रम्प, राष्ट्रपति, यूएसए

एआई कार्यक्रम

आशा भय, विश्वास, प्रेम, अविश्वास और अवसर मृत्यु का मिश्रण है। सुझे लगता है कि कोई भी इन भावनाओं को एआई कार्यक्रम में कोड कर सकता है। इससे डरने का वास्तव कारण हमारी अपनी जड़ता है। -शेखर कपूर, फिल्मकार

करंट अफेयर

हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए सांसद दोषी

हांगकांग के एक न्यायाधीश ने लोकतंत्र समर्थक एक पूर्व सांसद को जुलाई 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान शहर में एक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ द्वारा हिंसा के दौरान दंगा करने के लिए बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया। अभियोजकों ने लैम वेउक-टिंग पर लकड़ी के डंडों और धातु की छड़ लिये लगभग 100 लोगों के एक समूह को उकसाने का आरोप लगाया। अभियोजकों के मुताबिक, इन लोगों ने ट्रेन स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों और राहगीरों पर हमला किया। अभियोजकों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने काली शर्ट पहनी थी जबकि कुछ लोगों ने सफेद शर्ट पहनी हुई थी और वे दावा कर रहे थे कि वे हांगकांग के नये क्षेत्रों के एक आवासीय जिले यूएन लॉन्ग में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। हिंसा में लैम समेत दर्जनों लोग घायल हो गये थे और इस हिंसा ने विरोध आंदोलन को और तेज कर दिया क्योंकि जनता ने पुलिस की देरी से की गई कार्रवाई की आलोचना की थी। न्यायाधीश स्टेनली येन ने फैसला सुनाया कि लैम मध्यस्थ के रूप में काम नहीं कर रहा था जैसा कि उसने दावा किया था बल्कि वह राजनीतिक लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि लैम के शब्दों ने सफेद शर्ट पहने लोगों को उकसा दिया।

ऑफ बीट

मोटापा लोगों को गहराई तक प्रभावित करता है

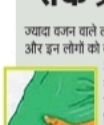

ज्यादा वजन वाले लोग एक ऐसे कलंक में जी रहे होते हैं, जो व्यापक है और इन लोगों को कहीं गहराई तक प्रभावित करता है। इसे भेदभाव के अंतिम स्वीकार्य रूपों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ शोधकर्ता सोचते हैं कि 'मोटापा' शब्द ही समस्या का हिस्सा है, और कलंक को कम करने के लिए नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका सुझाव है कि इसका नाम 'वसा-आधारित पुरानी बीमारी' रख दिया जाए। बड़े शरीर में रहने वाले 42 प्रतिशत वयस्कों को अपने वजन को लेकर शर्मिंदगी का अनुभव होता है। ऐसा तब होता है जब दूसरों की उनके प्रति नकारात्मक मान्यताएं, दृष्टिकोण, धारणाएं और निर्णय होते हैं, उन्हें गलत तरीके से आलसी समझा जाता है और यह माना जाता है कि उनमें इच्छाशक्ति या आत्म-अनुशासन की कमी होती है। बड़े शरीर वाले लोग कार्यस्थल, अंतरंग और पारिवारिक संबंधों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मीडिया सहित कई क्षेत्रों में भेदभाव का अनुभव करते हैं। वजन को लेकर शर्मिंदगी महसूस करना बढ़े हुए कोर्टिसोल स्तर (शरीर में मुख्य तनाव हार्मोन), शरीर की नकारात्मक छवि और खराब मानसिक स्वास्थ्य सहित कई नुकसान से जुड़ा हुआ है।

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोन: 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

कल्पमेधा

धन से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली। व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होता है, वह उससे कहीं अधिक चाहता है। धन रिक्त स्थान को भरने के बजाय शून्यता पैदा करता है।

- बेंजामिन फ्रैंकलिन

युद्ध के विरुद्ध

इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुए एक वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं। हमास के हमले के जवाब के नाम पर शुरू हुए इजराइली आक्रमण अब भी जारी हैं और उसके खत्म होने का कोई सिरा फिलहाल नहीं दिख रहा है। यह स्थिति तब भी कायम है जब दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध को तुरंत खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस क्रम में बुधवार को भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत गाजा में तत्काल युद्धविराम लागू किए जाने की मांग की गई है। साथ ही हमास और फिलिस्तीनी गुटों की हिरासत में रखे गए बंधकों की रिहाई के लिए भी कदम उठाने को कहा गया है। एक अन्य प्रस्ताव में इजराइल से फिलिस्तानी शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र एजंसी पर से प्रतिबंध हटाने की भी मांग की गई है। युद्ध विराम के प्रस्ताव के समर्थन में एक सौ अट्ठावन मत पड़े, जबकि विरोध में केवल नौ मत। जाहिर है, कुछ देशों को छोड़ कर दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध के विरुद्ध हैं और ऐसी स्थिति में इजराइल को भी इस पर विचार करने की जरूरत है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष अक्तूबर की शुरुआत में इजराइली सीमा के भीतर हमास के हमले में करीब बारह सौ लोगों के मारे जाने के बाद उसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर हमला किया था, जिसमें तब से अब तक बयालीस हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल की दलील अब भी यही है कि वह हमास के आतंकियों का सफाया कर देगा। सवाल है कि जितने लोगों की जान अब तक जा चुकी है, उनमें से कितने वास्तव में हमास या उससे जुड़े आतंकी थे! यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि मारे जाने वालों में गिनती के कुछ को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर सभी गाजा में रहने वाले आम लोग थे, जिनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं था। अपने लिए इंसाफ की इच्छा करते और दलील देते हुए इजराइल ने जिस तरह गाजा पर हमले के क्रम में अंतरराष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रख कर अस्पतालों और शरण-स्थलों तक को नहीं बख्शा, महिलाओं से लेकर छोटे मासूम बच्चों तक तक मारे गए, उससे यही लग रहा है कि अब इजराइल एकतरफा युद्ध कर रहा है। उसे दुनिया के तमाम देशों सहित संयुक्त राष्ट्र तक की ओर से युद्ध खत्म करने की औपचारिक रूप से की गई मांग पर भी विचार करना जरूरी नहीं लगता।

दुनिया में लोकतंत्र के सभी पैरोकार बिना किसी सवाल के यह मानते हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। मगर इसके समांतर से दो या इससे ज्यादा देशों के बीच किसी ऐसे मसले पर युद्ध की शुरुआत हो जाती है जिसे बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था। इसके बाद होता यही है कि युद्ध में शामिल देशों में होने वाले हमलों में आमतौर पर ऐसे लोग मारे जाते हैं, जिनका युद्ध से कोई लेना-देना नहीं होता। इसमें बच्चों और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जाता। विचित्र यह है कि इस तरह के टकराव में शामिल पक्ष आमतौर पर अपने पक्ष को न्याय और शांति का पैरोकार बताते हैं, जबकि अगर वे खुद युद्ध में शामिल एक पक्ष होते हैं तो उनके हमले में हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। गाजा में अब तक जितनी बड़ी तबाही हो चुकी है, वह मानवीयता के खिलाफ एक बड़ी त्रासदी है। इस लिहाज से संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह तत्काल युद्ध विराम के समर्थन में दुनिया के ज्यादातर देशों ने मतदान किया, उसके मद्देनजर इजराइल को अब अपने अहं को छोड़ने की जरूरत है।

दिखावे की हिंसा

भारतीय समाज में विवाह समारोह के दौरान दिखावे की प्रवृत्ति इस कदर बढ़ती गई है कि अब उसमें हिंसक प्रवृत्तियों का भी खुल कर प्रदर्शन किया जाने लगा है। शादी-ब्याह के मौके पर बंदूक और राइफल से गोली दाग कर खुशी का इजहार करने का यह कौन-सा तरीका है जिसमें किसी बेकसूर की जान चली जाए। सवाल है कि विवाह के अवसर पर हथियार लेकर चलने की परंपरा के पीछे कौन-सी मानसिकता काम करती है। इस बात को किसी तर्क पर ठीक माना जा सकता है कि कोई व्यक्ति कानून के दायरे में अपनी आत्मरक्षा का हवाला देकर कोई हथियार रखता है। मगर लोग खुशी का इजहार करने के नाम पर भी गोलियां दाग रहे हैं और उससे कई बार विवाह समारोह में ही मातम पसर जाता है तो उससे किसको खुशी मिल सकती है? दिक्कत यह है कि गोलीबारी में वधू या वर पक्ष के करीबी लोगों के शामिल होने के कारण कई बार मामले को कानूनी अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। लाइसेंसी हथियार सिर्फ आत्मरक्षा की कानूनी परिभाषा के तहत रखने की छूट है, लेकिन आज यह दिखावे का औजार बनता जा रहा है। कई लोग शान बघारने या दबंगई दिखाने के लिए ऐसे मौके पर हथियार लेकर आते हैं। जबकि अकारण हवा में गोली चलाना अपराध है और इसके लिए सजा भी हो सकती है।

गौरतलब है कि हरियाणा के चरखी दादरी में एक विवाह समारोह में जश्न के नाम पर किसी ने गोलियां दागीं, जिसकी चपेट में आकर तेरह साल की एक बच्ची की मौत हो गई और उसकी मां जख्मी हो गई। यह कोई पहली घटना नहीं है। लुधियाना में पिछले महीने विदाई के वक्त भाई की चलाई गोली दुल्हन के माथे में जा लगी थी। इसी तरह हाल में मथुरा में जयमाला के दौरान करीबी रिश्तेदार की ऐसी ही लापरवाही के कारण दुल्हन को गोली लग गई। देश के कई इलाकों में खुशी मौके पर हवा में गोलियां चलाना शान का प्रदर्शन माना जाता रहा है, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं लोगों के भीतर छिपी सामंती कुंठा होती है। शादी-ब्याह में रिश्तेदार ही दिखावे के लिए गोलियां दागने लगें, तो समझा जा सकता है कि हमारे समाज में यह कुंठा कितनी गहरी हो चुकी है। दिखावे की हिंसा की ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

जलवायु पर बढ़ते संकट के जिम्मेदार

बाकू में जलवायु संकट पर गंभीर मंथन तो हुआ, पर समस्या की गहराई को समझने की ईमानदार कोशिश नहीं की गई। यदि जलवायु वित्त पैकेज पर सहमति बनती, तो इससे जुड़े मुख्य मुद्दों के समाधान की राह खुलती, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया।

रवि शंकर

हाल ही में बाकू में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में गहन वार्ता के बाद, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने की दिशा में कोई ठोस निर्णय न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्मेलन के अंत में जो हासिल हुआ, उसने यह साबित हुआ कि वादों और वास्तविकता के बीच की खाई आज भी विकसित और विकासशील देशों के बीच बहुत गहरी है। सम्मेलन में जरूर कुछ बड़ी और अहम घोषणाएं हुईं, लेकिन उनसे उम्मीद की जाने वाली तात्कालिक और ठोस कार्रवाई का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। दशकों से चले आ रहे सम्मेलनों के बावजूद जलवायु संकट दूर करने के लिए सभी देशों की हिस्सेदारी और जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि काप-29 सम्मेलन में विकासशील देशों की चिंता और नाराजगी को भारत ने आवाज दी है। उसने सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण देशों का नेतृत्व करके अमीर देशों को आईना दिखाया।

बहरहाल, बाकू में आयोजित सम्मेलन में लंबी जद्दोजहद के बाद सबसे बड़ी घोषणा 'न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल' के रूप में सामने आई। जिसमें अमीर देश 2035 तक 300 बिलियन डालर हर साल योगदान करने के लक्ष्य पर सहमत हुए, लेकिन यह रकम गरीब देशों को बेहद कम लगी और इस पर सवाल उठाया पैंतालीस गरीब देशों के समूह ने। इसने काप-29 के नतीजे को 'विश्वासघात' बताया। उनका कहना था कि यह समझौता न तो वैश्विक ताप पर लगाम लगा सकता है और न ही कमजोर देशों की मदद कर सकता है। ऐसे में यह अहम सवाल है कि अब दस साल बाद क्या स्थिति बनेगी, यह किसे मालूम है। फिर यह वादा वे देश निभाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि अनिवार्यता तत्काल कदम उठाने की है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणाम अब हम सबके सामने हैं। साफ दिख भी रहे हैं। हैरत है कि यह 2009 में तय किए गए 100 बिलियन डालर के लक्ष्य की जगह लेता है, जो अब तक कभी पूरा नहीं हुआ। दरअसल, विकसित और विकासशील देशों के बीच यह मतभेद रहा कि जलवायु संकट में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले अमीर देशों को कितनी मदद देनी चाहिए। वहीं जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करने का वादा, जो पिछले साल दुबई में काप-28 में किया गया था, इस बार के समझौते से हटा दिया गया। इससे साबित होता है कि विकसित देश किस हद तक की लापरवाही कर रहे हैं।

हालांकि, भारत और चीन ने इस लक्ष्य को अस्वीकार्य बताते हुए 500 बिलियन सालाना सार्वजनिक वित्त की मांग की। भारत का कहना है कि विकसित देशों ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस लक्ष्य को 'स्वैच्छिक योगदान' और बहुपक्षीय विकास बैंकों की फंडिंग पर निर्भर बना दिया है। अमीर देश अपनी इस दलील पर अब भी अड़े हुए हैं कि इस कोष में विकासशील देश भी योगदान करें। जाहिर है, पैसा न देने का एक बहाना उन्होंने तैयार कर रखा है। सम्मेलन के दौरान कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठे, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल चर्चा के स्तर पर ही सीमित रह गए। 'बाकू प्रेसीडेंसीज कंटीन्युइटी कोएलिशन फार क्लाइमेट

एंड हेल्थ' की स्थापना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इस पहल का असर तभी होगा, जब इसे पर्याप्त धन और संसाधन मुहैया कराया जाए। कहना गलत न होगा कि विकसित देशों की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन दिखावा बन कर रह गया है।

> **जलवायु संकट को लेकर ज्यादातर शोर पश्चिमी देशों से ही उठते रहे हैं, जिन्होंने अपने विकास के लिए प्रकृति के विरुद्ध न जाने कितने ही कदम उठाए हैं और लगातार उठा ही रहे हैं। आज भी कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों में 70 फीसद हिस्सा पश्चिमी देशों का ही है जो विकास की अंधी दौड़ में लगे हैं। जाहिर है, आज धरती पर हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि विकसित देश ही हैं। आज जो देश विकसित होने का तमगा लगाकर घूम रहे हैं, वही देश धरती की वर्तमान स्थिति के लिए दोषी हैं।**

काप-29 में भारत एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में सामने आया। उसने 'कामन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पांसिबिलिटीज' के सिद्धांत पर जोर दिया, जो विकासशील देशों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करता है। भारत का यह रुख दूसरे विकासशील और छोटे द्वीपीय देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सतही और असमान समाधानों को स्वीकार नहीं करेगा। काप-29 ने बता दिया है कि वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना कठिन। जलवायु वित्त का नया लक्ष्य कागज पर अच्छा दिखता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हकीकत है कि धनी देशों के रवैए के कारण विकासशील देश खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। अपने विकास की कीमत पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने पर सहमत हुए गरीब मुल्क इसके मुकाबले के लिए अमीर देशों की मदद की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अमीर और गरीब मुल्कों के बीच अविश्वास का वातावरण दो दशक बाद भी बना हुआ है। निश्चित रूप से यह स्थिति भविष्य में वैश्विक ताप से निपटने के लिए साझा प्रयासों की संभावना को ही खत्म करेगी।

जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। इसको लेकर कई तरह की नकारात्मक भविष्यवाणियां भी की जा चुकी हैं। ज्यादातर ऐसे शोर पश्चिमी देशों से ही उठते रहे हैं, जिन्होंने अपने विकास के लिए प्रकृति के विरुद्ध न जाने कितने ही कदम उठाए हैं और लगातार उठा ही रहे हैं। आज भी कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों में 70 फीसद हिस्सा पश्चिमी देशों का ही है जो विकास की अंधी दौड़ में लगे हैं। जाहिर है, आज धरती पर हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि विकसित देश ही हैं। आज जो देश विकसित होने का तमगा लगा कर घूम रहे हैं, वही देश धरती की वर्तमान स्थिति के लिए दोषी हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में वैसे तो तमाम प्रतिबद्धताएं जताई जाती हैं, लेकिन उन पर पूरी तरह अमल न होना, हमेशा ही गंभीर चिंता का विषय रहा है। यह सत्य है कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने आज एक बड़ी चुनौती है।

भारत सहित पूरी दुनिया का उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। कार्बन उत्सर्जन में अपनी सीमित भूमिका होने के बावजूद इसे रोकने के लिए भारत अपनी ओर से हर स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन इस मामले में विकसित देशों में अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति आम रही है। बेशक बाकू में जलवायु संकट पर गंभीर मंथन हुआ, पर समस्या की गहराई को समझने की ईमानदार कोशिश नहीं की गई। यदि जलवायु वित्त पैकेज पर सहमति बनती, तो इससे जुड़े मुख्य मुद्दों के समाधान की राह खुलती, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। यह निर्विवाद सत्य है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए विकासशील देशों को अपने विकास को धीमा करना पड़ेगा।

अब काप-30, ब्राजील में आयोजित होगा। जाहिर है उससे काफी उम्मीदें हैं। जरूरी है कि भविष्य के सम्मेलनों में खोखले वादों की जगह ठोस कदम उठाए जाएं। जलवायु परिवर्तन कोई दूर का संकट नहीं है, यह एक गंभीर और वर्तमान चुनौती है, जो हर दिन विकराल होती जा रही है। काप-29 ने जलवायु संकट को हल करने की दिशा में कुछ कदम जरूर उठाए, लेकिन यह दुनिया को याद दिलाता है कि असली काम अभी बाकी है। यह वक्त है जब दुनिया को साहसिक, न्यायसंगत और तत्काल कार्रवाई करनी होगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य मिल सके।

जिज्ञासा की यात्रा

अशोक कुमार

मनुष्य के मस्तिष्क में कई प्रकार की प्रवृत्तियां जन्म लेकर पूरे जीवन काल तक सक्रिय रहती हैं। ऐसा माना गया है कि व्यक्ति के शांत मन में सकारात्मक सोच या कल्पना की संधि अधिक तीव्र होती है। किसी विषय के बारे में जानने या समझने की मानसिक स्थिति को हम सामान्य रूप में जिज्ञासा मानते हैं। दुनिया में जिस भी विषय पर चिंतन, सिद्धांत, आविष्कार आदि निरूपित किए गए, वे सभी जिज्ञासा की कोख की ही देन कही जा सकती है। व्यक्ति की किसी संदर्भ को गहराई से जानने की आतुरता जिज्ञासा में परिणत हो जाती है। संसार के लेखक, दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में जब जिज्ञासा की तरंगों ने अपनी पहचान बनाई होगी, तभी समाज को विभिन्न कोटि के लेख, साहित्य, कविता, दर्शनशास्त्र, वैज्ञानिक आविष्कार आदि ने मूर्त-रूप लिया होगा। एक प्रकार से कल्पना के प्रस्थान बिंदु को जिज्ञासा का उद्गम स्थल कहा जा सकता है।

जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति सदैव अपनी सक्रियता बोध के सहारे कुछ न कुछ जानने-सीखने की विधा में क्रियाशील रहते हैं। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अध्ययन कक्ष में हमेशा विद्वानों का जमघट लगा रहता था जो प्लेटो से सदैव कुछ नया विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते थे। यह विचित्र है कि प्लेटो कभी अपने को ज्ञानी नहीं समझते थे और वे खुद सदा कुछ नया सोचने-विचारने में व्यस्त रहते थे। कभी-कभी तो वे छोटे बच्चों और युवकों से भी कुछ सीखने के लिए उनमें घुल-मिल जाते थे। प्लेटो की इस आदत पर उनके एक परम मित्र ने उनसे प्रश्न किया कि 'आप इतने विख्यात दार्शनिक है, विश्व के प्रतिष्ठित तर्कशास्त्रियों में आपकी गणना होती है, फिर भी आप किसी भी बड़े या छोटे से गुण ग्रहण करने और कुछ नया सीखने के लिए हमेशा उत्सुक क्यों रहते हैं। आप तो दूसरों का स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, फिर आपको सीखने या जानने की भला क्या जरूरत है। कहीं आप लोगों को खुश करने के लिए तो उनसे सीखने का दिखावा नहीं करते।' अपने मित्र के भोलेपन पर प्लेटो हंसे फिर उन्होंने कहा- 'मेरे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसे उत्तम गुण हैं जो अन्य के पास नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे से सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति दूसरों से सीखने-समझने में झिझक या संकोच करेगा तब तक वह बहुत से अच्छे ज्ञान से वंचित ही रहेगा।'

विचारणीय है कि जिज्ञासा की उत्पत्ति का स्रोत क्या है। कई चिंतकों का मानना है कि यह प्रवृत्ति ज्ञानकोश से उत्पन्न होती है। जैसा कि विदित हैं कि मनुष्य के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसे मानव शरीर का तृतीय नेत्र भी कहा गया है। ज्ञान व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर जब उन्मुख करता है तो उसमें कल्पना और जिज्ञासा जैसी प्रवृत्ति मूल रूप से प्रभावित करती है। यों कहें कि हमारी उत्कट जिज्ञासा ही ज्ञान का दर्पण तैयार करती है। जिज्ञासा सीखने की सतत प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण जन्मजात प्रवृत्तियों में से यह एक मुख्य है, जिसमें उम्र सीमा बाधक नहीं बनती है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि जिज्ञासा व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव के मनोभावों का वह समूह या उत्सुकता की वह अवस्था है, जिसमें मनुष्य किसी वस्तु या घटना को, जो उसके लिए अप्रत्यक्ष हो, जानने के लिए बेसब्र रहता है।

किसी छविगृह में कोई प्रेरक चलचित्र के प्रदर्शन के बाद उसकी सकारात्मक चर्चा समाज में जब होने लगती है तो सामान्य दर्शक उस चलचित्र के भाव को जानने को उत्सुक हो जाते हैं और उनके कदम चलचित्र गृह की ओर बढ़ने लगते हैं। व्यक्ति का अपने निजी विचारों के अनुसार जिज्ञासु होना भी एक गुण है जो अनवरत कल्पनाओं के सृजन में डूबा रहता है। कभी-कभी वह ऐसी स्थिति में मग्न हो जाता है कि चिंतनशीलता के चैतन्य में भाव-विभोर हो जाता है। वर्तमान समय में जो प्रतिबद्ध जिज्ञासु हैं, वही भविष्य में किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर सकेंगे या वैज्ञानिक की श्रेणी धारण कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि समाज में अधिकांश व्यक्ति जो जिज्ञासा से मुक्त हैं, वे अपनी दैनंदिनी में एकदम शांत और सरल हैं। ऐसे कई लोग यथास्थितिवाद के राही होते हैं जो न कुछ सीख सकते हैं और न किसी को कुछ सिखा सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं में यह आमतौर पर देखा गया है कि वर्ग में पढ़ा रहे शिक्षकगण से कुछ ही विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं जो उनकी जिज्ञासा भाव का प्रमाण है, जबकि अधिकतर विद्यार्थी शांत रहते हैं। सहज रूप में समझा जा सकता है कि जब शिक्षार्थी अपने शिक्षक से कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आखिर उनके पाठ्यक्रम के अध्याय को सही तरीके से समझने और अच्छी परीक्षा देने का सामर्थ्य कहां से आएगा। हालांकि इस स्थिति के लिए कई बार शिक्षक भी जिम्मेदार होते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **जिज्ञासा से ज्ञान और ज्ञान से सामर्थ्यवान होकर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को सफल कर पाता है। मनुष्य के भीतर की जिज्ञासा ही उसे नूतन पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। और उसके मन के अंदर कुछ नया करने का जोश एवं जज्बा नहीं होगा तो उसकी जिंदगी एक सामान्य दिनचर्या की परिधि का वाहक होगा।**

जिज्ञासा से ज्ञान और ज्ञान से सामर्थ्यवान होकर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को सफल कर पाता है। मनुष्य के भीतर की जिज्ञासा ही उसे नूतन पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। और उसके मन के अंदर कुछ नया करने का जोश एवं जज्बा नहीं होगा तो उसकी जिंदगी एक सामान्य दिनचर्या की परिधि का वाहक होगी। वर्तमान में डिजिटल इंडिया के संस्करण ने सीखने और जानने का असंख्य ज्ञान मंच उपलब्ध कराया है। आजकल मोबाइल फोन, लैपटाप, टीवी आदि अनेक साधन हैं, जिसके माध्यम से नई-नई चीजें व्यक्ति सीख रहा है, जबकि समाज का एक वर्ग इसके दुरुपयोग में भी सलंग्न है। समय की पुकार है कि जिस ज्ञान पुंज की कड़ियों ने जगत में जिज्ञासाओं से फलित बौद्धिक क्षमताओं ने समाज को अनगिनत प्रेरक दिशा प्रदान की है, हम सब भी जिज्ञासा की जीवंतता के अनुगामी बने रहें।

बाधित सदन

देश के सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनते ही संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं। हैरत है कि इसके बाद वे संसद नहीं चलने देते और संविधान की दुहाई देते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा में देश के विकास से संबंधित कोई विधेयक आसानी से पारित नहीं होता। इस समय लगातार दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है। देश की जनता के करोड़ों रुपए पानी में बहाए जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी यह सुन कर हो रही है कि संविधान पर चर्चा होने जा रही है। इस समय आवश्यकता है रुके हुए विधेयकों को पारित करने की और आपसी संवाद बनाए रखने की। अभी संविधान पर चर्चा का औचित्य नहीं। इसके नाम पर दोनों सदनों में होने वाली चर्चा में केवल और केवल एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों को गंभीरता से इस पर सोचना होगा। लोकसभा और राज्यसभा की गरिमा बनाए रखने में अपना सहयोग देना होगा अन्यथा संविधान के नाम पर चल रही लड़ाई से राजनीति को और राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा धूमिल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

- आरके शर्मा, रोहिणी, दिल्ली

किसकी शह

'सहिष्णुता पर सवाल' (संपादकीय, 9 दिसंबर) विचारणीय है। सवाल यह है कि यदि शेख हसीना की सरकार तानशाही थी, तो उसके सत्ता से निर्वासित होने के बाद भी हिंसा और अराजकता का दौर क्यों नहीं थम रहा है? अल्पसंख्यकों पर यातना तथा उनके पूजा स्थलों को तोड़ने और जलाने से रोक पाने में या तो मनोनीत सरकार सक्षम नहीं है या फिर सरकार की शह पर यह सब हो रहा है। भारत ने जिस बंगलादेश का पालन-पोषण किया, संरक्षित किया, संप्रभुता के साथ अलग पहचान दिलाई, वहां उसके अपने लोग संकट झेल रहे हैं। यदि बंगलादेश के कट्टरपंथी संगठनों को भारत में शेख हसीना को शरण देने से आपत्ति है, तो क्या शेख हसीना को भारत छोड़ कर कहीं और चले जाना चाहिए? अगर इसके बाद भी पाकिस्तानी इशारे पर कट्टरपंथियों की हिंसक गतिविधियां जारी रहती हैं, तो बांग्लादेश को यह समझ लेना चाहिए कि भारत सहनशील है, असहाय नहीं।

- हुकुम सिंह पंवार, इंदौर

गहराता असंतुलन

भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रपट में बीते दशक के दौरान बैंकों की जमा राशि में ढाई गुना और ऋण में 4.5 गुना की वृद्धि का विवरण हमारे आर्थिक तंत्र में गहराते असंतुलन को उजागर करता है। संचयशीलता, जो हमारी वित्तीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक रही है, वह अब उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव और कर्ज पर निर्भरता के कारण क्षीण हो रही है। ऋण की इस अप्रत्याशित वृद्धि के पीछे तात्कालिक सुख-सुविधाओं की बढ़ती प्रवृत्ति और दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन की कमी का बड़ा योगदान है। यही प्रवृत्ति जारी रही, तो संचय केवल शब्दकोश का एक शब्द मात्र रह जाएगा और ऋण हमारी आर्थिक पहचान बन जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय संस्थानों को ऋण वितरण में विवेकशीलता अपनानी चाहिए और संचय को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर, हमें अपने उपभोग और खर्च की आदतों में अनुशासन लाकर बचत को प्रोत्साहित करना होगा।

- आरके जैन 'अरिजीत', बड़वानी

बढ़ती निष्ठुरता

'संवेदना का क्षरण' (संपादकीय, 10 दिसंबर) पढ़ कर, मन भर आया। रुपए के लिए आज समाज में मानवीय संवेदनाएं किस तरह मरती जा रही हैं, यह उदाहरण है। सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों में लापरवाहियों की खबरें आए दिन सुर्खियां बनती हैं। मरीजों के साथ दुर्व्यवहार, गलत उपचार अथवा समय रहते उपयुक्त इलाज न मिलना आम बात है। अस्पतालों में मरीजों की मौत के बाद, उनके शवों को घरों तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं होती। यह देख-सुन कर हर किसी का मन व्यथित हो जाता है। सरकार को अस्पतालों में होने वाली मौत के बाद शवों को उनके घरों तक या फिर उनके गांवों तक पहुंचाने पर ध्यान देना होगा, जिससे अंतिम संस्कार समय पर पूरे रीति रिवाज के साथ हो सके। शव वाहनों का प्रबंध सभी अस्पतालों में किए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में फिर ऐसी घटना न हो।

- नरेश कानूनगो, देवास

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

दैनिक जागरण
आस्था के भाव से ही ईश्वर की अनुभूति संभव है

एक साथ चुनाव की तैयारी

एक देश-एक चुनाव संबंधी विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति यही बता रही है कि मोदी सरकार अपने वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विधेयक को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि यह धारणा सही नहीं कि लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने के कारण वह अपने इस एजेंडे का परित्याग कर सकती है। उसे ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि सहयोगी दल जदयू और तेलुगु देसम एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं। चूंकि आंध्र प्रदेश की तरह ओडिशा में भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते रहे हैं, इसलिए संभव है कि बीजू जनता दल भी एक साथ चुनाव की पहल का समर्थन करे। जो भी हो, इस विधेयक को संसद में पेश करने के बाद उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना उचित होगा, ताकि विपक्षी दल उस पर अपनी राय दे सकें। हालांकि एक साथ चुनाव पर विचार के लिए जब पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी तो विपक्षी दलों के सुझाव मांगे गए थे, फिर भी बेहतर यही होगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर नए सिरे से विपक्ष की राय ली जाए। विपक्ष को भी चाहिए कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ चुनाव पर नीर-क्षीर ढंग से विचार करे। उसे इस तरह के घिसे-पिटे तर्कों से बचना चाहिए कि एक साथ चुनाव कराना लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुकूल नहीं। इस तर्क का इसलिए कोई मूल्य-महत्व नहीं, क्योंकि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। इसी तरह इस दलील में भी दम नहीं कि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दलों ने भी कभी ऐसी शिकायत नहीं की।

लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से केवल संसाधनों की बचत ही नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक दलों को भी राहत मिलेगी। अभी उन्हें रह-रह कर चुनावी मुद्रा अपनानी पड़ती है और अपनी समस्त ऊर्जा चुनावों में खपानी पड़ती है। कई बार तो उन्हें अपनी प्राथमिकताएं भी बदलनी पड़ती हैं। इसके अलावा यह भी किसी से छिपा नहीं कि चुनावों के चलते बार-बार आचार संहिता लागू होने से नीतिगत निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में समस्या आती है। आखिर जब पहले एक साथ चुनाव होते रहे हैं तो फिर यह कहने का क्या औचित्य कि उन्हें फिर से एक साथ कराया जाना सही नहीं होगा? एक साथ चुनाव के विचार को पसंद न करने वाले दल कुछ भी दावा करें, यह कोई आदर्श स्थिति नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दल हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो गए। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड में अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ा। अब उन्हें दिल्ली के विधानसभा चुनावों का इंतजार है। यह इंतजार खत्म होते ही बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी।

ई-रिक्शा की मनमानी

गणेश छाप, विक्रम टेम्पो, पैर रिक्शा, आटो रिक्शा और अब ई-रिक्शा जहां एक तरफ यात्रियों की विवशता हैं वहीं कोढ़ भी, लेकिन लाख टके का सवाल है कि यह कोढ़ लाइलाज क्यों? महानगरों में अब तक सर्वजनिक परिवहन का ठोस उपाय न तलाश पाना या किन्हीं अदृश्य शक्तियों का अपवित्र गठजोड़! प्रश्न नया नहीं है, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ उससे यह प्रश्न नए संदर्भों के साथ सतह पर है। काफिला शहर के इनर रिंग रोड शहीद पथ पर था। तभी सामने एक ई-रिक्शा आ गया और अचानक ब्रेक लगाने के कारण काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि राज्यपाल सुरक्षित रहे, किंतु चार पुलिस अधिकारियों को चोटें आ गईं। शहीद पथ पर ई-रिक्शा प्रतिबंधित है पर यातायात पुलिस ने ध्यान नहीं दिया।

यह हाल सिर्फ राजधानी का नहीं, हर जिले में ई-रिक्शा आफत का पर्याय बन रहे हैं। इनकी मनमानी पर अंकुश नहीं। ई-रिक्शा कार्ड किस रूट पर चलेंगे, कितने चलेंगे इसका कोई नियम नहीं, लेकिन ये उन मार्गों पर भी बेखौफ चलते हैं जहां स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए चंद रोज पहले हरदोई में राजमार्ग पर जा रहा एक ई-रिक्शा अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गया और तीन लोगों की मौत हो गई। राजमार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन पर स्पष्ट प्रतिबंध है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। जब ई-रिक्शा की शुरुआत हुई तब कहा गया था कि यह फ्रंटर सर्विस के तौर पर चलेंगे, लेकिन अब यह कुकरमुत्तों की तरह सड़कों पर मौजूद हैं। ई-रिक्शा की अनियंत्रित संख्या व ट्रैफिक में आधा के कारण वाराणसी प्रशासन ने नए ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगा रखी है। हालांकि, यह स्थायी निदान नहीं। निदान यही है कि प्रत्येक महानगर में इनके नियमन की एक नीति बने जो ई-रिक्शा निर्माताओं, डीलरों और अधिकारियों के गठजोड़ के दबाव से मुक्त हो।

विशेषाधिकार वाली मानसिकता का सामना

शंकर शरण

केवल समान अधिकार की टेक पर ही घमंडी मुस्लिम नेताओं की विशेषाधिकारी मानसिकता खत्म की जा सकती है

संभल पुलिस ने वहां के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और कुछ अन्य मुस्लिम नेताओं पर सांप्रदायिक हिंसा को उकसाने का आरोप लगाया है। आरोपों की सुनवाई तो न्यायालय करेगा, पर सर्वविदित है कि अधिकांश मुस्लिम नेता कानून या नैतिकता की परवाह किए बिना उग्र बयानबाजी करते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में मरने-मारने की भाषा का प्रयोग करते हुए मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले न्यायालय पर भी कटाक्ष किया। अधिकांश मुस्लिम नेताओं का अंदाज रहता है कि कुछ भी बोल सकते हैं। कोई न्यायालय की चुनौती देता है, तो कोई शरीयत को संविधान से ऊपर कहता है। इसका पता वक्फ और पूजा स्थल अधिनियम को लेकर दिए जा रहे उनके बयानों से चलता है। उलमा समय-समय पर ऐसे फतवे देते हैं, जो कानूनों के विरुद्ध हैं। जब कानूनी स्थिति अपने पक्ष में लगती है, तब वे दूसरों को संविधान से चलने की सीख देते हैं, अन्यथा पूरी ठसक से कानून, संविधान और समाज की अवमानना करना विशेषाधिकार समझते हैं। संभल की ही घटना लें। जामा मस्जिद क्षेत्र में सर्वे टीम को पहली बार कोई बाधा न हुई, पर बाद में वहां हिंसा की गई। उग्र व्यवहार के बिना कानूनी प्रक्रिया सहजता से चलती। मुस्लिम नेता इसे चुनौती देना ही अपना विशेषाधिकार मानते हैं। वे इस पर गर्व करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह कई मुस्लिम नेता धमकी देते रहे हैं, 'पुलिस हटा दो, तब देख लेंगे कि किसमें कितना दम है।' ऐसी ही बात सौ साल पहले मौलाना अकबर शह खान ने कही थी। उन्होंने महात्मा मदन मोहन मालवीय को 'पानीपत के चौथे युद्ध' की चुनौती दी थी। इसी अंदाज में निजामुद्दीन दरगाह के प्रमुख ख्वाजा हसन निजामी ने कहा था, 'हिंदुओं में शासन करने की क्षमता नहीं। मुसलमानों ने शासन किया है और मुसलमान ही शासन करेंगे।'

हाल में सैयद शहाबुद्दीन, आजम खान, इमरान मसूद, तौकीर रजा आदि नेता सरकार, सेना, न्यायाधीशों को भी धमकाते रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन ने धमकी दी थी, 'अरब देशों से कहकर भारत को तेल की आपूर्ति बंद करा देंगे।' ऐसे उग्र बयानों पर कानूनी कार्रवाई तो दूर, खुली भर्त्सना भी नहीं होती। गैर-मुस्लिम नेता चुप रहते हैं। गत सौ सालों से भारतीय राजनीति की यह स्थायी विडंबना है। मौलाना अली बंधु एक से एक हिंसक भाषण देते थे, पर गांधीजी उन्हें 'परिशुद्ध आत्मा' बताते थे। इस तरह धमकी-भीरुता-हिंसा का स्वचालित दुष्चक्र बनता है। इस प्रवृत्ति की विस्तृत समीक्षा डा. आंबेडकर ने की थी।

अवधेश राजपूत

अपनी पुस्तक 'थाट्स आन पाकिस्तान' में उन्होंने लिखा था, 'मुसलमान अब हिटलर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जर्मनी में जिस महत्व की मांग हिटलर ने की थी, वे उसकी आकांक्षा यहां कर रहे हैं।' ('संपूर्ण वाङ्मय', खंड 15)। आंबेडकर ने लिखा था, 'इस प्रवृत्ति का दूसरा प्रमाण मुसलमानों द्वारा गैरहत्थे के अधिकार और मस्जिदों के पास बाजे-गाजे की मनाही की मांग से मिलता है। शरीयत में मजहबी उद्देश्य से गोवध पर कोई बल नहीं दिया गया। इसलिए जब वे मक्का-मदीना जाते हैं, तो गोवध नहीं करते, पर भारत में दूसरे किसी पशु की बलि देकर वे संतुष्ट नहीं होते। सभी मुस्लिम देशों में किसी मस्जिद के सामने से गाजे-बाजे के साथ गुजर सकते हैं, पर भारत में मुस्लिम इस पर आपत्ति करते हैं।'

इस विडंबना-मुस्लिम नेताओं की उग्रता और हिंदू नेताओं की चुप्पी-से भारतीय समाज और शासन की जो दुर्गति हुई है, उसका आकलन असंभव है। इस विडंबना से दोनों समुदायों के बीच अस्वस्थकर भावनाएं बनी हैं। अखिर ग्रंथि जिस जगह हो, इलाज उसी का आवश्यक होता है। उपेक्षा से वह गंठ जड़ीभूत होती है। जब देश का कानून उत्तेजक भाषणबाजी को अपराध बताता है, तो जो भी ऐसा करे, उसे दंडित होना चाहिए, लेकिन आम तौर पर मुस्लिम नेताओं पर वैसे भाषणों के लिए शायद ही कभी कार्रवाई होती हो। फलतः मुस्लिम नेता अपने गुमान में और भी चढ़ते रहते हैं। यदि हिंदू नेता आंबेडकर की तरह, दृढ़तापूर्वक केवल शब्दिक आलोचना भी करें तो विशेषाधिकार जताने वाले मुस्लिमों पर लगाम लगे। तभी यहां मानवतावादी न्यायप्रिय मुस्लिम नेता भी उभरते।

जोर-जबरदस्ती का अंदाज ठुकराने पर मुस्लिम नेता कहीं भी मनमानी चलाने में असमर्थ हैं। सऊदी अरब में प्रमुख इस्लामी स्थानों की रक्षा अमेरिकी संरक्षण में होती है। अकूत आर्थिक संसाधन के बाद भी तमाम मुस्लिम देशों की सेनाएं मिलकर एक इजरायल को नहीं हरा सकतीं। भारत पर भी पाकिस्तान के चार-चार हमले हार में बदले। मुस्लिम नेताओं की हनक दूसरों की चुप्पी से ही चलती है। अन्यथा स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद, श्रीअरविंद या आंबेडकर जैसे नेताओं ने जब भी उनकी घमंडी मानसिकता को ठुकराया, तो उन्हें उत्तर नहीं सूझा। उलटे मुस्लिम नेताओं ने वैसे नेताओं को आदर दिया, जो उनसे आंख मिलाकर बात करते थे। उदाहरण के लिए स्वामी दयानंद को दी गई सर सैयद अहमद की श्रद्धांजलि। इसकी तुलना में किसी मुस्लिम नेता ने गांधीजी को रंच मात्र भी मान नहीं दिया, जो आजीवन हिंदुओं के हित कुर्बान करते रहे। इस्लामी श्रेष्ठता के स्थान पर मानवीय समानता की सामने रखना ही सही नीति है। घमंडी अंदाज को ठुकराकर केवल समान अधिकार की टेक पर ही विशेषाधिकारी मानसिकता खत्म की जा सकती है। उस पर चुप्पी साधने या झुकने से उसे बढ़ावा ही मिलता है। इससे आगे और भी अधिक क्षति होनी तय है। जिस दिन भारतीय शासन बिना मजहब, जाति, क्षेत्र देखे हर उत्तेजक भाषण पर समान रूप से कठोर कार्रवाई करने लगेगा, उसी दिन यह समस्या स्वयं ही नीचे आ जाएगी।

इस्लामी मत भी बौद्ध, ईसाई या हिंदू मत के समान ही आदर या आलोचना का पात्र है। इस टेक से तनिक भी विचलन उस विशेषाधिकारी मानसिकता को ही बढ़ाता है, जिसने लाखों लोगों की बलि ली है। इसे बंद करने के लिए सही उपाय शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक है। इसे केवल कानून-व्यवस्था का विषय मानना भूल है। मुस्लिम नेताओं की आक्रामक भाषा मनोवैज्ञानिक दबाव है, जिससे हिंदू नेता भ्रमित होते हैं। उन्हें सहजता, किंतु दृढ़ता से इसे ठुकराना होगा।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

बिखराव की ओर जाता विपक्षी गठबंधन

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी मोर्चे आइएनडीआइए में मची उठापटक और वैचारिक अंतर्विरोधों को भांपकर ही शायद नीतीश कुमार ने उससे किनारा किया था। यह एक तथ्य है कि नीतीश कुमार ही आइएनडीआइए के निर्माता-निर्देशक थे। उन्होंने इस गठजोड़ की पहल हिसार में 25 सितंबर 2022 को की थी। हिसार में चौधरी देवीलाल की जन्म-जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी. राजा और ओमप्रकाश चौटाला आदि उपस्थित थे। उस समय विपक्षी दलों की दशा-दिशा कमोबेश वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से मेल खाती थी। टीएमसी, सपा, आम आदमी पार्टी समेत कई दल कांग्रेस के साथ मंच साझा करने को तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार का कांग्रेस के साथ काम करने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन व्यापक एकता के लिए वह कांग्रेस को आवश्यक मानते थे। उन्होंने कांग्रेस के बिना किसी व्यावहारिक विकल्प को नकार कर उसकी स्वीकार्यता पर जोर दिया। उन्होंने लालू प्रसाद के साथ सोनिया और राहुल गांधी से भेंट कर अपने मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया। जब छह महीने गुजरने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व रहस्यमय चुप्पी साधे रहा तो अंततः नीतीश कुमार ने पटना में जून 2023 को गठबंधन का पहला सफल आयोजन किया और कांग्रेस के प्रति बरती जा रही राजनीतिक अस्पृश्यता को तोड़ने का काम किया। तब अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के साथ मंच पर सोनिया एवं राहुल गांधी भी उपस्थित रहे। पटना में प्रधानमंत्री पद के लिए किसी पार्टी के नेता की मनोनीत करने के बजाय सामूहिक नेतृत्व में कार्य किए जाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया।

नीतीश कुमार पीएम पद के लिए पहली पसंद थे, लेकिन वह कहीं गठबंधन के संयोजक न बन जाएं, इस भय से ग्रस्त कांग्रेस ने बेंगलुरु और मुंबई की बैठकों की पहल अपने हाथों में ले ली और फिर दिल्ली में ममता बनर्जी की ओर से नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर सबाल उठाकर विपक्षी एकता की पिकल किया। जब गठबंधन को सक्रिय करने के लिए कोई कदम नहीं उठे तो नीतीश कुमार उससे बाहर आ गए। एनडीए से इतर उनके द्वारा किया गया एक और प्रयोग असफल रहा था। यह प्रयोग 2015

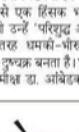

केसी त्यागी

भरोसे का अभाव और गलाकाट प्रतिस्पर्धा के चलते आइएनडीआइए की हालत पहले से भी खराब है

एक-दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे पटना के जुटान में नेता। फाइल

के बिहारनसभा चुनाव के अवसर पर किया गया, जिसमें जदयू, राजद, सपा, जनता दल (एस) आदि की एकता कराकर कारगर विपक्ष बनाने का था। नए दल का नाम, नेता का चयन और चुनाव चिह्न आदि पर सहमति बनी और तय हो गया था कि मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में सपा के चुनाव चिह्न पर चुनाव मैदान में उतरा जाएगा, लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर सपा ने स्वयं को अलग कर लिया।

अखिलेश, वैचारिक अंतर्विरोध एवं गला काट प्रतिस्पर्धा के चलते आइएनडीआइए की हालत पहले से भी खराब है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को असफल मानकर गठबंधन के नेतृत्व के लिए स्वयं को उपयुक्त माना है। सपा, एनसीपी, आप और राजद ने भी उनके नेतृत्व को स्वीकार्य माना है। वामपंथी दलों का ममता विरोध जगजाहिर है। बंगाल में वाम मोर्चा और कांग्रेस में छमासान जारी है। यहां इसका उल्लेख आवश्यक है कि सपा, राजद, एनसीपी, शिवसेना-यूबीटी, द्रमुक, टीएमसी, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीयू, आप और यहां तक कि वाम दलों को प्राप्त हुआ जनाधार कांग्रेस पार्टी से छीना हुआ है। भाजपा एकमात्र दल है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व एवं क्षेत्र बनाने में सफल रही है। विपक्षी गठबंधन के बीच ताजा विवाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में अधिक है। पिछले लोकसभा चुनाव में पिता मुलायम सिंह से भी अधिक सीटें प्राप्त कर अखिलेश यादव का जोश सातवें आसमान पर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस द्वारा उपेक्षित होकर वह पिता के पदचिह्नों पर चलते दिख रहे हैं, जो इस पक्ष में कभी नहीं रहे कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फले-फूले। यह मुलायम सिंह ही थे, जिन्होंने 1999 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। प्रारंभिक दिनों में लालू-नीतीश की जोड़ी ने भी बिहार में कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। बाद में लालू के लिए कांग्रेस अनिवार्य हो गई। आइएनडीआइए में खींचतान के बीच रामगोपाल यादव का यह वक्तव्य महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी गठबंधन के नेता नहीं हैं। संसद में भी सपा और कांग्रेस की राहें जुदा दिखती हैं। सपा और टीएमसी को अदाणी प्रकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण संभल की घटना दिखती है। कांग्रेस द्वारा स्वयं को सेक्युलर एवं सामाजिक न्याय की एकमात्र पार्टी प्रचारित करना भी सपा, राजद सरीखी पार्टियों को अखर रहा है। महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने गठबंधन की खाई को और चौड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र सपा ने खुद को महाविकास आघाड़ी से अलग कर लिया है। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने शिवसेना को भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक कहा है। इसके जवाब में शिवसेना-यूबीटी नेता संजय राउत ने सपा को भाजपा की बी टीम करार दिया।

हरियाणा से सबक लेकर आप ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पंजाब में दोनों दलों में निरंतर कटुता बढ़ती जा रही है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाकर कांग्रेस ने टीएमसी को जो संदेश दिए, वे असफल रहे हैं। दरअसल अपनी-अपनी जमीन खोने का डर सभी घटकों को है। इसीलिए लगभग सभी दल इस पर एकमत हैं कि गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों से निकले। यह उठापटक दर्शाती है कि बेमेल और अवसरवादी गठबंधन की उम्र लंबी नहीं होती। कांग्रेस सिर्फ अपने विस्तार के प्रति समर्पित दिखती है और यही मंसूबा क्षेत्रीय दलों को सशंकित किए हुए है। भविष्य में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में टकराव तीव्र होता दिखे तो आश्चर्य नहीं होगा।

(लेखक पूर्व सांसद हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

सुनने की क्षमता

कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से भी कठिन सहना। उससे भी कठिन होता है सब कुछ भूलकर समान्य रहना। मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी वाणी में निहित होता है और आधा मौन में। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते है, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। वस्तुतः, भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का पूर्ण व्यक्तित्व झलकता है। इसलिए जो बातें चुभ जाती है उनको सुई के समान मानकर उनका फूलों की माला बनने में इस्तेमाल किया जाना ही उचित है। आईस्टीन ने कहा है कि बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही शिक्षा है।

संवाद सिर्फ बातें नहीं, बल्कि वक्ता और श्रोता दोनों के बीच का संतुलन है। यदि आप सिर्फ बोलने के अभ्यस्त हैं तो सुनने की कला भी सीखनी होगी। अधिक बोलने के बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है। जिस व्यक्ति की आप बात सुन रहे हैं, वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। आप एक धैर्यवान श्रोता बनकर दूसरों को उनके विषय में बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं तो आप उनके सम्मान और प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे। यदि आप अच्छे श्रोता बनेंगे तो आपके संवाद की गुणवत्ता बेहतर होगी।

स्वयं बोलने से दूसरों को अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त करने दें। समझने की कोशिश करें, सिर्फ जवाब देने की नहीं। दूसरे व्यक्ति की बात पर निर्णय लेने की कोशिश में हम भटक जाएंगे और यह समझने एवं समझाने की कोशिश में लग जाएंगे कि वे गलत कैसे हैं। बीच में दखल न दें। दखल का मतलब है कि हम अक्सर यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला आगे क्या कहेगा? जब हम ऐसा करते हैं तो अपने पूर्वग्रह से ही ग्रस्त होते हैं कि अपने समक्ष वक्ता क्या कहने जा रहे हैं और यह समझने का प्रयास नहीं करते कि वास्तव में वे क्या कह रहे हैं।

डा. निर्मल जैन

कवच से होगी सुरक्षा सुनिश्चित

रंजना मिश्रा

कवच सिस्टम के कारण यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव होगा और दे रेलवे पर अधिक विश्वास करेंगे

भारतीय रेलवे की क्रांतिकारी तकनीकी पहल 'कवच' प्रणाली के लागू होने से कोहरे में ट्रेनों के देरी से चलने की समस्या का भी समाधान निकलने की उम्मीद है। कवच स्वदेशी रूप से विकसित आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) सिस्टम है। यह एक इलेक्ट्रानिक डिवाइस है, जो ट्रेन को हादसों से बचाता है। कवच सिस्टम ट्रेन की गति, स्थिति और आसपास के परिवेश की निगरानी करता रहता है। अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो यह सिस्टम स्वचालित रूप से ट्रेन के ब्रेक लगा देता है और ट्रेन को रोक देता है।

दरअसल कवच सिस्टम में कई सेंसर और ट्रांसमीटर लगे होते हैं, जो लगातार ट्रेन की गति, स्थिति और आसपास के वातावरण की जानकारी एकत्र करते रहते हैं। यह जानकारी एक केंद्रीय कंप्यूटर में भेजी जाती है, जो इस जानकारी का विश्लेषण करता है। अगर कंप्यूटर को लगता है कि ट्रेन किसी खतरे में है, तो यह तुरंत सिग्नल भेजता है और ट्रेन के ब्रेक लगा देता है। रेल ट्रैक पर लगाए गए सेंसर ट्रेन की स्थिति और गति के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। लोको पायलट केबिन में एक डिवाइस लगा होता है, जो ट्रैक से मिलने वाली जानकारी प्राप्त कर लोको पायलट को निर्देश देता है। यह कंप्यूटर सभी सेंसरों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है कि क्या ट्रेन को रोकना है या नहीं।

कवच सिस्टम ट्रेन हादसों की आशंका को काफी हद तक कम कर देता है। कवच सिस्टम के कारण ट्रेनें समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेनें एक-दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाकर चलें। पहले इस सिस्टम को लगाने में दो हफ्ते लगते थे, लेकिन अब यह सिर्फ 22 घंटे में ही स्थापित हो जाता है। इस सिस्टम में तांबे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिससे चोरी की आशंका काफी कम हो जाएगी। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में पूरे रेल नेटवर्क में कवच प्रणाली को लागू किया जाए। हालांकि इस सिस्टम को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। दरअसल रेलवे का एक बड़ा हिस्सा पुराना है। पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कवच सिस्टम को लगाने में कई तकनीकी चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के सिग्नलिंग सिस्टम के साथ एकीकरण, बिजली आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करना आदि। कवच सिस्टम को संचालित करने और उसकी देखभाल के लिए कुशल तकनीशियनों की आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि पूरे नेटवर्क को एक साथ अपग्रेड करने के बजाय महत्वपूर्ण रूट्स पर पहले कवच सिस्टम लगाया जा सकता है। एआइ से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

आत्ममंथन करे कांग्रेस

'कांग्रेस के भविष्य पर नए सवाल' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राज कुमार सिंह ने मुख्य विपक्षी दल की मौजूदा दशा-दिशा का सही चित्रण किया है। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से संबंधित पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि राहुल और प्रियंका अपने समर्थकों के साथ एकजुट होकर एकीकृत प्रयासों से पार्टी के कायाकल्प में जुटेंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। यदि इसका उलटा हुआ तो पहले से ही परेशानियों से जूझ रही देश की सबसे पुरानी पार्टी में गुटबाजी और बढ़ेगी। भले ही राहुल और प्रियंका सार्वजनिक रूप से एकजुट होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में नजर आते हों, लेकिन समस्या उनके समर्थकों के स्तर पर अधिक दिखती है। पार्टी की गतिविधियों एवं संचालन में अपने वर्चस्व को लेकर ऐसे गुट ही किसी भी दल का सबसे अधिक अहित करते हैं, जिससे कांग्रेस भी अछूती नहीं। गुटबाजी की यह समस्या संगठनिक स्तर से लेकर टिकट वितरण और यदि परिस्थितियां सरकार बनाने की आएं तो फिर सरकार गठन तक में दिखती है। यह किसी से छिपा नहीं कि पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यहां तक कि हरियाणा एवं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस आलाकमान राज्यों में शीर्ष स्तरीय नेतृत्व में सामंजस्य बनाने में असफल रहा और गुटबाजी के चलते पार्टी हाशिए पर जाती रही। अब चूंकि राहुल के साथ ही प्रियंका भी संसदीय राजनीति में प्रवेश कर चुकी हैं तो उन्हें पार्टी की समस्याओं को चिह्नित कर उनके समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए।

मेलबाक्स

संभव है कि दोनों की सक्रियता से पार्टी को कुछ लाभ मिले, लेकिन इससे भाजपा और विरोधी दलों को भी पार्टी पर वंशवाद के आरोपों को धार देने का अवसर मिलेगा, क्योंकि राहुल, प्रियंका के अलावा सोनिया गांधी भी इस समय संसद सदस्य हैं। इसलिए, कांग्रेस को अपनी समग्र रणनीति पर नए सिरे से मंथन करना होगा। इसमें देरी उसके लिए ही घातक सिद्ध होगी।

रमा मिश्र, लखनऊ

आइएनडीआइए में जारी उठापटक

संपादकीय टिप्पणी 'कांग्रेस को चुनौती' में सही लिखा गया है कि आइएनडीआइए को संचालित करने का कोई तौर-तरीका विकसित नहीं होने के कारण कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक इस गठबंधन का आधिकारिक रूप से कोई स्वीकार्य नेता नहीं बनाया गया है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ही आइएनडीआइए की बैठक बुलाती रही है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का उत्साह चरम पर था। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें लाकर इसके नेता राहुल गांधी की लग रहा था कि वह महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन से बढ़त बना लेंगे, मगर महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा ने प्रचंड बहुमत लाकर साबित कर दिया कि आइएनडीआइए उसके सामने बौना है। उपचुनाव में भी कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन से आइएनडीआइए के घटक दलों के नेताओं को लग रहा है कि राहुल गांधी की अपरिपक्वता के कारण ही चुनावों में सफलता नहीं मिल रही है। इन नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस की नेपथ्य से संचालित करने वाले राहुल की पकड़ देश की राजनीति से ज्यादा विदेशी ताकतों से है। जार्ज सोरोस के साथ कथित संबंधों के बाद आइएनडीआइए में तेजी के साथ घटक दल कांग्रेस के विरोध में उतर आए हैं। कभी कांग्रेस के हर कदम पर हामी भरने वाले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली है। उन्होंने भी आइएनडीआइए के नेता के रूप में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम पर सहमति जताई है। उधर, आम आदमी पार्टी (आप) ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली है। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कि है कि आप 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना-उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत भी कुछ समय पहले तक राहुल गांधी का गुणगान किया करते थे। उनकी पार्टी भी अब गठबंधन का नेता बदलने पर जोर दे रही है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

सम्पादकीय

खुदरा निवेशकों के लिए मददगार

भारतीय शेयर बाजार न केवल बाजार पूंजीकरण के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक हैं बल्कि इन्हें सबसे अधिक सक्षम बाजारों में भी गिना जाता है। बाजार को और सक्षम बनाने के लिए शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस वर्ष के आरंभ में टी प्लस जीरो (उसी दिन) निपटान का बीटा संस्करण लॉन्च किया था जो शेयर नकदी बाजार में 25 शेयरों के लिए वैकल्पिक आधार पर था। बीते कुछ महीनों के फीडबैक और अनुभव के आधार पर बाजार नियामक ने इस सुविधा को शीर्ष 500 शेयरों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। यह दिखाता है कि नियामक की दृष्टि में बाजार अधोसंरचना और शामिल संस्थान बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए तैयार हैं। हालांकि रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि टी प्लस जीरो को अपनाने की गति धीमी रही है लेकिन इससे नियामक को बाजार सुधार संबंधी कदम उठाने में भीमापन नहीं बरतना चाहिए। अपनाने का क्रम धीमा होने की एक वजह नए निपटान चक्र में शेयरों की सीमित संख्या भी हो सकती है। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक टी प्लस जीरो चक्र 31 जनवरी, 2025 से बाजार पूंजीकरण के मुताबिक शीर्ष 500 कंपनियों के लिए उपलब्ध रहेगा। शेयरों को 100 के खंड में नए चक्र में शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत समूह के निचले स्तर से की जाएगी। यह बात समझ में आती है क्योंकि तुलनात्मक रूप से कम आकार वाली कंपनियां पहले आगे आएंगी। इससे व्यवस्था की मजबूती आंकने में मदद मिलेगी। आगे चलकर बड़ी कंपनियां नए निपटान चक्र में शामिल होंगी। अब सभी शेयर ब्रोकरों को भागीदारी की इजाजत होगी। उन्हें टी प्लस जीरो और टी प्लस वन निपटान के लिए अलग-अलग ब्रोकरेज वसूलने की भी इजाजत होगी, बशर्ते कि वह नियामकीय दायरे में हो। क्वालिफाइड शेयर ब्रोकर जो चुनिंदा शर्तों का पालन करते हों उनसे उम्मीद की जाएगी कि वे जरूरी व्यवस्था कायम करें ताकि नए निपटान चक्र में अबाध भागीदारी तय समय में हो सके। इस बीच स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और डिपॉजिटरीज जिन्हें एक साथ बाजार अधोसंरचना संस्थान या एमआईआई कहा जाता है, उनसे भी उम्मीद की जाएगी कि वे अबाध शुरुआत के लिए जरूरी व्यवस्था कायम करें। इसके अलावा सहज क्रियान्वयन के लिए एमआईआई से उम्मीद है कि वे परिचालन दिशानिर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ सामने आएं। इससे सभी अंशधारकों खासतौर पर व्यक्तिगत निवेशकों को नए चक्र में शामिल होने में मदद मिलेगी। टी प्लस जीरो के बड़े कारोबार को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंजों से उम्मीद की जा रही है कि वे एक व्यवस्था कायम करेंगे। टी प्लस जीरो प्रणाली का आकार बढ़ाने के कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। खासतौर पर छोटे निवेशकों के नजरिये से। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, नियामक के आकलन में पाया गया कि 90 फीसदी से अधिक इक्विटी डिलिवरी कारोबार जहां कारोबार का आकार एक लाख रुपये से कम रहा उसे नकदी और प्रतिभूतियों के अग्रिम जमा में अंशाम दिया गया। ऐसे में बहुसंख्य छोटे कारोबारी और निवेशक इस कदम से लाभान्वित होंगे क्योंकि नकदी की स्थिति में सुधार होगा।

दहेज के झूठे कानूनों में कब तक पुरुष हलाल होते रहेंगे?

पिछले दिनों नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब के हवाले से एक खबर आई थी। उससे पता चला कि एक साल में करीब सवा लाख मुकदमे झूठे पाए गए। ये मुकदमे दूसरों को फंसाने के लिए दर्ज कराए गए थे। जिन लोगों पर मुकदमे किए गए थे, उनके खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी यानी वे झूठे थे। कहीं रास्ते के विवाद में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया। कहीं विरोधी पर दबाव बनाने के लिए छेड़खानी का मुकदमा तो कहीं दुश्मनी निकालने के लिए मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया।

अशोक भाटिया

सोशल मीडिया पर इन दिनों अतुल सुभाष सुसाइड केस चर्चा का विषय बना हुआ है। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने लगभग डेढ़ घंटे के वीडियो में बताया है कि उनकी पत्नी, उनके परिवार और फैमिली कोर्ट की जज ने उन्हें परेशान किया। इन आरोपों के बाद इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। इस केस के बाद सोशल मीडिया से लेकर देशभर में चर्चा चल रही है कि लड़कियां लड़कों पर झूठे आरोप लगाती हैं और कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं। अभी तो चर्चा हो रही है पर इससे कुछ नहीं बदलने वाला। ना ये सिस्टम, ना सिस्टम की सोच। ना पुलिस का रवैया। ना न्याय प्रणाली की रफ्तार। ना सुधरेगा भ्रष्टाचार। कुछ भी इसलिए नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारे देश में एक दिन अचानक जागकर फिर लंबी गहरी नींद में सो जाने वाली सोच समाज में फैली है। जिसे क्रांति तो चाहिए लेकिन अपने घर से नहीं। इसी सोच की वजह से सिस्टम जस का तस बना रहता है। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से 24 घंटों का जो सुसाइड नोट लिखा हैऔर 81 मिनट का वीडियो बनाया है। इनमें उन्होंने अपनी पूरी व्यथा कथा कह डाली है। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। और मैं ही नहीं रहूंगा तो ना तो पैसा होगा और न ही मेरे माता-पिता, भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल को लगता है कि उनको या उनके जैसे लोगों को न्याय मिलेगा?

देखने वाली बात यह है कि क्या जो आरोप लगे हैं उसके आधार पर जांच करके अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा? या फिर कल, आज और कल या फिर कुछ दिन और सब चर्चा करके भूल जाएंगे? सॉरी अतुल सुभाष! कुछ भी नहीं बदलने वाला। जिन माता-पिता और परिवार को सिस्टम के क्रूर पंजों से बचाने के लिए अतुल अपनी जान दे गए, क्या वो बुजुर्ग अब न्याय पाएंगे? मां बेंगलुरु में श्मशान घाट पर अपने बेटे के अंतिम संस्कार के वक्त खुद को संभाल नहीं पाई। पूरी रात रोते बीती। एयरपोर्ट पर बेहोश हो गईं। इसके बाद भी कुछ नहीं बदलेगा।

गौरतलब है कि एक मामले की सुनवाई करते जस्टिस बीआर गवई ने कहा था कि नागपुर में मैंने एक ऐसा मामला देखा था, जिसमें एक लड़का अमेरिका गया था और उसे शादी किए बिना ही 50 लाख रुपए देने पड़े थे। वो एक दिन भी साथ नहीं रहा था। मैं खुले तौर पर कहता हूं कि घरेलू हिंसा और धारा 498ए का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भी तेलंगाना के एक मामले में सुनवाई करते हुए इसके दुरुपयोग की बात कही थी।गगस्त में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 498ए के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि दादा-दादी और बिस्तर पर पड़े लोगों को भी फंसाया जा रहा है। बई में केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि पत्नियां अक्सर बदला लेने के लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज करवा देती हैं। ज्ञात हो कि दहेज कुप्रथा को

रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून बनाए हैं। असहाय महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए कानून बनाने पर जोर दिया गया था। इसके चलते दहेज निषेध अधिनियम, 1961 बना। दहेज की मांग के बाद घरेलू हिंसा की घटनाएं भी सामने आती रहीं हैं ऐसे में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया।इसके साथ ही पुरानी आईपीसी में दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्याओं को रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए थे। आईपीसी की धारा 498 दहेज से पहले और बाद में किसी भी रूप में उत्पीड़न को दंडनीय और गैर-जमानती बनाती है। 1983 में संसद द्वारा एक आपराधिक अधिनियम आईपीसी 498 ए पारित किया था जो कहता था कि दहेज वसूलने के लिए की गई क्रूरता पर तीन या अधिक वर्षों की अवधि की सजा और जुर्माना देना होगा। दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्याओं को रोकने के लिए आईपीसी 1961 में एक नई धारा आईपीसी 304 बी जोड़ी गई। आईपीसी 304 बी में दहेज हत्या का जिक्र है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में कहा गया है कि अगर किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर किसी भी जलने या शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है या यह पता चला है कि उसकी शादी से पहले वह अपने पति या पति के किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के संपर्क में थी। दहेज मांगने का संबंध तब महिला की मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाएगा। दहेज हत्या के लिए सजा सात साल के कारावास की न्यूनतम सजा या आजीवन कारावास की अधिकतम सजा है। कानून पारित होते ही दहेज उत्पीड़न के हजारों मामले दर्ज होने लगे। कई बार यह विवाहित महिला के लिए सुरक्षा के बजाय हथियार बन गया जिस पर समय-समय पर अदालतों ने भी चिंता जताई। इन मुकदमों में फंसने के बाद लोगों का जीवन तबाह हो गया। बिना मतलब की भागदौड़ हुई, ऊपर से पैसा और समय लगा। समाज में लोगों के तरह-तरह के ताने सुनने को मिले। देखा जाए तो इस तरह के मामले नए नहीं हैं। कुछ लोग बदला लेने के लिए कुछ भी करते हैं। आरोप किसी एक आदमी पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर लगा देते हैं। इनमें बड़ी संख्या में स्त्रियां भी होती हैं। यहां तक कि कई बार बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। खेत की मेड़ जरा-सी इधर-उधर हुई नहीं कि मुकदमे से लेकर खून-खराबे तक बात पहुंच जाती है। हत्याएं तक हो जाती हैं। ऐसे में महाभारत का वह अंश याद आता है जहां दुर्योधन कहता है कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। परिणामस्वरूप इतना बड़ा युद्ध और सर्वनाश हुआ। न कौरव बचे, न ही पांडव राज कर पाए। आखिर कानूनों में इतनी खामियां क्यों हैं कि कोई किसी के भी खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है। जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है, उसके पास यदि इतने संसाधन न हों कि वह कानूनी लड़ाई लड़ सके तो उसे सजा भी मिल जाती होगी। बहुत साल पहले फांसी पाए कैदियों की एक रिपोर्ट पढ़ी थी। उसमें अधिकांश ने कहा था कि उन्होंने किसी को नहीं मारा। ग्राम प्रधान या सरपंच ने अपने किसी को बचाने के लिए उनका नाम लिखवा दिया। उन्हें न कानून की कोई जानकारी थी, न वकील को फीस देने के पैसे थे। उन पर अपराध सिद्ध हो गया। स्त्री रक्षा संबंधी कानूनों के तहत जिन पुरुषों और उनके घर वालों को मुकदमे झेलने पड़ते हैं, उनकी आफत का तो कहना ही क्या। कितने मामलों में यदि पुरुष विवाहित है तो पत्नियां ही घर छोड़कर चली जाती हैं। बहुत से लोग अपनी जीवनलीला समाप्त करने के बारे में सोचते हैं। यदि किसी बुजुर्ग पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो उसकी खैर नहीं रहती। कुछ साल पहले इंदौर की एक घटना प्रकाश में आई थी। उसमें जमीन-जायदाद के विवाद में परिवार की बहू ने बुजुर्ग के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। बुजुर्ग को इससे इतनी पीड़ा पहुंची कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा और भी न जाने कितने लोग करते होंगे। बहुत बार विवाह के बाद कुछ बहुएं संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहतीं तो दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले दर्ज करा देती हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस को सच्चाई मालूम नहीं होती, लेकिन वह कहती है कि अगर किसी स्त्री ने ऐसे मामले दर्ज कराए हैं तो हमारे हाथ बंधे रहते हैं। सच जानते हुए भी वह कुछ कर नहीं सकती। दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म के मामलों में अक्सर पुरुषों की नौकरी तक चली जाती है। सताई गई स्त्रियों की हर तरह से कानून और पुलिस की मदद मिलनी चाहिए, लेकिन बदले की भावना से किसी पर कोई भी आरोप लगा देना नितांत गलत है। कानून लोगों की मदद के लिए हैं, किसी को सताने के लिए नहीं। उनका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। अदालतें बार-बार इन बातों को दोहराती रहती हैं। स्त्रियों को इस बात को जरूर समझना चाहिए कि ऐसा करके वे स्त्रियों का ही नुकसान करती हैं। लोगों का उन पर से भरोसा उठता है और कानूनों की ताकत भी कम होती है। एक बार किसी पर छेड़खानी, दुष्कर्म के आरोप लग दिए जाएं तो सारा जमाना उसे दोषी मान लेता है, चाहे बाद में आरोप झूठे ही साबित हों। आखिर सफाई भी किस-किस के सामने दी जा सकती है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सफाई देने वाले को तो यह भी मान लिया जाता है कि जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी सफाई देता फिर रहा है। यदि एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो हैरत होती है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि लगाते तो पूछ सकेंगे। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे तीसरे क्षेत्र हैं, जहां आपके सितारे बुलंद होंगे और दुनिया देखा, अपको मिल जाने से आपका लाभ उठाएंगे। यह न सिर्फ हमारे ग्रहण में और अंतिम पृष्ठ की सुनहरी छटा लाखनलाख आपके लिये मंगलमय होंगे, संशिप्त फलादेशि तरीके से में, जहां यह लाखनलाख हमें लंबाई और बराबरी से लाभ प्रदान करेगा

मेष
किसी बड़े काम को करने की योजना बनेगी। आत्मसम्मान बना रहेगा। व्यापार लाभदायक रहेगा। घर-परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

वृष
किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार लाभदायक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता में वृद्धि होगी। नौकरी में महाहतों से अनबन हो सकती है। शारीरिक कष्ट संभव है। जल्दबाजी से हानि होगी।

मिथुन
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। लेन-देन में सावधानी रखें। अपरिचितों पर अंधविश्वास न करें। कारोबार ठीक चलेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। भाग्य अनुकूल है। समय का लाभ लें।

कर्क
धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आय बनी रहेगी। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में कार्यभार रहेगा। जोखिम न लें। विवाद को बढ़ावा न दें। कानूनी अड़चन से सामना हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुरी खबर मिल सकती है, धैर्य रखें।

सिंह
स्थायी संपत्ति के कार्य मनोनुकूल लाभ देंगे। किसी बड़ी समस्या का हल सहज ही प्राप्त होगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। भाग्य अनुकूल है। व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी।

कन्या
कारोबार में वृद्धि होगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। धन प्राप्ति सुगम होगी। समय अनुकूल है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। परिवार के साथ समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होगा। शत्रुओं का पराभव होगा।

तुला
स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। फालतू खर्च होगा। किसी के व्यवहार से क्लेश होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। आय में निश्चितता रहेगी।

वृश्चिक
नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। पार्टी व पिकनिक का आयोजन हो सकता है।

धनु
व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा। कार्यस्थल पर परिवर्तन की योजना बनेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। ऐश्वर्य व आरामदायक साधनों पर व्यय होगा। जोखिम व जमानत के कार्य टालें।

मकर
चोट व दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है। दुश्वन हानि पहुंचा सकते हैं। किसी अपरिचित व्यक्ति पर अतिविश्वास न करें। किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़ें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। व्यापार ठीक चलेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा।

कुंभ
शेयर मार्केट में जल्दबाजी न करें। व्यापार लाभदायक रहेगा। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। लेन-देन में सावधानी रखें। चोट व रोग से कष्ट संभव है। प्रमाद न करें। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है।

मीन
आत्मशांति रहेगी। यात्रा सफल है। व्यापार ठीक चलेगा। तीर्थदर्शन की योजना फलीभूत होगी। सस्ते का लाभ मिलेगा। नौकरी में चैन रहेगा। दूसरों की जवाबदारी न लें। थकान रह सकती है। जोखिम के कार्य टालें। यात्रा मनोरंजक रहेगी। जल्दबाजी न करें।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं राजस्थान पुलिस की आन बान और शान के रूप में जाने जाने वाले पुलिस के जाँबाज इंस्पेक्टर शीशराम मीणा जोकि आजकल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में तैनात हैं। इनका जन्म 20 जुलाई सन 1974 ग्राम पंचुखरकरा थाना पाटन जिला नीमकाथाना में हुआ। शिक्षा नीमकाथाना युजी कोटपूतली पीजी इतिहास से कर 1 दिसम्बर सन 1999 को पुलिस बेड़े में शामिल शामिल हुए।

सब इंस्पेक्टर के रूप में आमेर जयपुर, ब्रह्मपुरी जयपुर, झोटवाड़ा जयपुर, विज्ञान नगर कोटा, बपावर कोटा, सांगोद कोटा रहे। इसके बाद पदौन्नत होकर पुलिस निरीक्षक बने और सबसे पहले हिंडोली बूंदी तैनात हुए। उसके बाद करणीविहार जयपुर, कोतवाल टोंक, भिवाड़ी थानाधिकारी भिवाड़ी फेस-3 थानाधिकारी, थानाधिकारी अरावली विहार अलवर, थानाधिकारी फागी जयपुर ग्रामीण, थानाधिकारी खेतड़ी झुंझुनू, थानाधिकारी नवलगढ़ झुंझुनू , थानाधिकारी बजाज नगर जयपुर, वर्तमान में एसओजी जयपुर में पुलिस निरीक्षक के पद को सुशोभित कर रहे हैं। दमदार शख्सियत के रूप में पूरे पुलिस महकमें में इन्हें जाना जाता है। अपने दम पर अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाले दमदार पुलिस निरीक्षक हैं। अलवर पोस्टिंग के दौरान तथाकथित संत फलाहारी बाबा के यौन कांड में युवती की जीभ पर ऊ बनाए जाने और उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए जाने के मामले का खुलासा कर पूरे राजस्थान में ये फेम हो गए।

शीशराम मीणा
(पुलिस निरीक्षक)

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश के निर्देश पर बाबा को हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर उसके असली ठिकाने पहुँचाने वाले थानाधिकारी के रूप में विख्यात हुए। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

13 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- ऑस्ट्रिया के टायरॉल में 1916 में हिमस्खलन से 24 घंटे में 10,000 ऑस्ट्रियाई और इतालवी सैनिकों की मौत।
- नीदरलैंड के हेग में 1920 में लीग ऑफ नेशनस का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित।
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का 1921 में उद्घाटन 'प्रिंस ऑफ वेल्स' ने किया था।
- चीन और जापान के बीच 1937 में हुए नानजिंग के युद्ध में जापानियों की जीत हुई। इसके बाद लंबे समय तक नरसंहार और अत्याचार का दौर चला।
- भारत और सोवियत संघ ने 1955 में पंचशील प्रकाशन को स्वीकार किया।
- मंसूर अली खान पटौदी ने 1961 में अपना टेस्ट मैच करियर दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू किया था।
- सन 1974 में मालटा गणतंत्र बना।
- पोलैंड में 1981 में सेना द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा।
- गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को 1989 में आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाने के बदले पांच कश्मीरी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया गया।
- कोफी अन्नान 1996 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने गए।
- महात्मा रामचन्द्र वीर को 1998 में कोलकाता के बड़ा बाज़ार लाइब्रेरी की ओर से भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर 2001 में आतंकवादी हमला।
- इस्रायल ने 2001 में यासिर अराफात से सम्पर्क तोड़े।
- भूतपूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को 2003 में उनके गृह नगर तिगरीट के निकट गिरफ्तार कर लिया गया।
- यूरोपीय संघ का 2002 में विस्तार किया गया। साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया इसमें शामिल किए गए।
- इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच 2004 में परमाणु और सर क्रीक पर वार्ता प्रारम्भ।
- भूतपूर्व चिलि तानाशाह जनरल अगस्टो पिनोशे 2004 में अपहरण और नरसंहार के 9 आरोप लगने के बाद घर में नजरबंद कर दिए गए।
- 50वें सदस्य के रूप में 2006 में वियतनाम को शामिल करने हेतु विश्व व्यापार संगठन द्वारा अधिसूचना जारी।
- श्रीलंका सेना व लिट्टे के मध्य 2007 में हुए संघर्ष में 17 लिट्टे उग्रवादी मारे गये।
- जम्मू-कश्मीर के पाँचवें चरण के लिए 2008 में 11 विधानसभा क्षेत्रों में 57% मतदान हुआ।

13 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

- हिन्दी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरम्भकर्ता इलाचन्द्र जोशी का जन्म 1903 में हुआ।
- भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लक्ष्मी चंद्र जैन का जन्म 1925 में हुआ।

विशेष आलेख

कल अतीत है, कल भविष्य है लेकिन आज एक उपहार है

किसी कवि ने समय के बारे में क्या खूब कहा है -'समय-समय की वार्ता, समय-समय का फेर। समय लगा दे ठाठ-बाट, जाते न लागे देर।' इसलिए जीवन में मनुष्य को यह चाहिए कि वह सदैव समय की कद्र करे। मनुष्य जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। रविन्द्र नाथ टैगोर जी ने समय के बारे में कहा है कि -' तितली महीनों को नहीं बल्कि क्षणों को गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है।' समय के महत्व को लेकर ही कहा गया है - 'आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत।अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गयी खेत।।' कहना गलत नहीं होगा कि समय मनुष्य जीवन का सबसे अनमोल और बेहतरीन उपहार है। समय से बलवान कोई नहीं , परंतु यह जानते हुए भी हम इसे बर्बाद करते रहते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस जीव-जगत में सबकुछ समय पर निर्भर करता है। हम चाहें यह बात मानें या नहीं मानें, लेकिन समय से पहले कुछ भी नहीं होता। यदि मनुष्य के पास समय नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं है। वैसे ईश्वर ने सबको समान समय दिया है। आदमी को कुछ कर गुजरने के लिए समय को निकालना पड़ता है। जीतने वाले, आगे बढ़ने वालों के पास, सफलता प्राप्त करने वालों के पास कोई अलग से समय नहीं होता है। सभी के पास चौबीस घंटों का समय होता है, अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपने समय का मैनेजमेंट कैसे, कब, कहां और क्यों करता है ? हमें यह चाहिए कि हम समय का मैनेजमेंट करें, क्यों कि समय की बर्बादी हमारे भविष्य को बर्बाद कर देती है। ओपल ओस्टीन कहते हैं जीवन उड़ता जा रहा है। आपके पास नकारात्मक, नाराज़ या कड़वा होने में एक मिनट भी बर्बाद करने का समय नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उसे भूल जाएँ और आगे बढ़ें। समय प्रबंधन हमें अनुशासन और धैर्य सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि किस प्रकार अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित और सुंदर बना सकते हैं। समय का सही उपयोग व्यक्ति को जीवन में सफल बनाता है। इसलिए वास्तव में हमें यह चाहिए कि हम समय के साथ हर पल संवाद करें। यानी कि हमें हर पल-हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए, क्योंकि जब हम जागरूक होते हैं, तो समय की कीमत को बेहतर समझते हैं।चार्ल्स बक्सटन कहते हैंआपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं मिलेगा। अगर आपको समय चाहिए तो आपको इसे बनाना होगा। यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। सबकुछ समय के हाथों में है। एकबार जब समय निकल जाता है तो लौटकर वापस नहीं आता। समय अनवरत चलता ही रहता है और कभी रूकता नहीं है। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम हमेशा समय के प्रति जागरूक और सचेत रहें। यदि हम समय के प्रति जागरूक हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन के प्रति भी जागरूक हैं। हमें यह चाहिए कि हम कभी भी अपने समय को जाया या व्यर्थ न करें। समय की महत्ता कितनी है, यह हम इन बातों से सहज ही समझ सकते हैं जैसे कि एक साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछिए जो कि एक्जाम में फेल हो गया है। इसी तरह से 1 महीने की कीमत उससे पूछिए जिसे पिछले महीने की सैलरी ना मिली हो। इसी प्रकार से एक हफ्ते की कीमत हास्पीटल में दिन बिताने वाले से, एक दिन की कीमत सारा दिन भूखा रहने वाले से, एक घंटे की कीमत किसी का इंतजार करने वाले से, एक मिनट की कीमत ट्रेन मिस हो जाने वाले व्यक्ति से तथा एक सैकंड की कीमत ओलंपिक में मेडल जीतने वाले से पूछनी चाहिए, जिसने कि मात्र एक सैकंड के लिए मेडल को खो दिया। समय को काल भी कहा गया है। संस्कृत में क्या खूब कहा गया है कि काल: पचति भूतानि काल: संहरते प्रजा:। काल: सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रम:।। अर्थात तात्पर्य यह है किकाल सभी जीवो को निपुणता प्रदान करता है। वही सभी जीवो का संहार भी करता है। वह जागता रहता है जब सब सो जाते है। काल को कोई जीत नहीं सकता। बहरहाल, समय के बारे में हमें यह भी अपने जेहन में रखना चाहिए कि समय कभी भी एकसा नहीं रहता है। यह सदैव बदलता रहता है। कभी अच्छा तो कभी खराब। इसलिए खराब समय में दुखी नहीं होना चाहिए और अच्छे समय में बहुत अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है। बस समय के साथ सहजता से चलते रहना चाहिए। एक बात यहां पाठकों को कहना चाहूंगा कि हम अक्सर मुश्किल समय में खुद को सांत्वना देने के लिए यह कहते हुए सुनते हैं कि यह भी बीत जाएगा, लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि यही वो पल होते हैं(यही वह समय होता है) जब हम सच में जीवन में आगे बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं और विकसित होते हैं। समय के बारे में टिमोथी फेरिस कहते हैंकिसी दिन एक बीमारी है जो आपके सपनों को आपके साथ कब्र में ले जाएगी।इस संसार में सबकुछ समय के अनुसार बदलता है क्योंकि, समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है।हमें समय के महत्व को समझ कर उसका रचनात्मक ढंग से प्रयोग करना चाहिए, ताकि समय हमें समृद्ध, हमारे जीवन को खुशहाल करें। समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन, जिसे न तो संचित किया जा सकता है और न ही पुन: प्राप्त किया जा सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है, जबकि इसका दुरुपयोग असफलता और पछतावे का कारण बनता है। समय का सही सदुपयोग हमें हमारे लक्ष्यों व मंजिल तक पहुंचाता है। बिल कौन कहते हैं कि कल अतीत है, कल भविष्य है, लेकिन आज एक उपहार है। इसीलिए इसे वर्तमान कहा जाता है।कहना गलत नहीं होगा कि समय का सही प्रबंधन ही जीवन का सही मार्गदर्शन है।जॉर्ज हर्बर्ट समय के बारे में क्या खूब कहते हैं इंतजार मत करो; समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होगा। आप जहां खड़े हैं, वहीं से शुरू करें और अपने पास मौजूद किसी भी साधन के साथ काम करें, और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बेहतर साधन मिलते जाएंगे। अंत में, यही कहूंगा कि हमें समय का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्यों कि समय ही जीवन की सच्ची पूंजी है। फ्रैंकलिन फील्ड ने क्या खूब कहा है कि सफलता और असफलता के बीच की महान विभाजक रेखा को पाँच शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है 'मेरे पास समय नहीं था।'

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इमरीयुत रोड खरगढ़ा,निवाई रोक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पाठक* । प्रधान संपादक-राव विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन न.0141-2796794,795 रोक कार्यालय-बाईपास निवाई, रोक फोन न.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-पेहलाज सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है सूरज हमारी पृथ्वी से। यह केंद्रीय तारा अगले 4.5 करोड़ वर्षों तक जीवित रहते हुए पृथ्वी समेत पूरे सौरमंडल को ऊर्जा देता रह सकता है।

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था टेली परफार्मेंसेज से संबद्ध

आजकल

सौर रहस्यों की थाह लेने का प्रयास

हमारा देश चंद्रमा के बाद जिस अंतरिक्षीय पिंड पर सबसे ज्यादा ध्यान लगा रहा है, वह सूर्य ही है। वह सूरज का अध्ययन करने के लिए खुद के मिशन भेज रहा है, दुनिया के दूसरे अभियानों में अपना सहयोग दे रहा है। जैसे-हाल में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के साथ सहयोग करते हुए भारतीय राकेट पीएसएसवी-सी95 से प्रोबा-3 नामक मिशन अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। इन अभियानों से बड़ी आशाएं जुड़ी हैं

प्रोबा-3 का उद्देश्य सूर्य के बाहरी हिस्से- कोरोना से फूटने वाले किरिणों और सौर लपटों का अध्ययन करना है। फाइल

हम जिस सौरमंडल में रहते हैं, उसमें दो अंतरिक्षीय पिंडों की उपयोगिता मानव सभ्यता के अस्तित्व के नजरिये से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें पहला पिंड एक ग्रह के रूप में खुद हमारी पृथ्वी है। अब तक की जानकारियों के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इसी एक ग्रह पर जीवन संभवित है। दूसरा अंतरिक्षीय पिंड हमारे सौरमंडल का मुखिया एक तारा यानी सूर्य है, जिसकी परिक्रमा सौरमंडल के अन्य सभी सदस्य (ग्रह) करते हैं। सूरज कितना उपयोगी है, इसे इससे समझा जा सकता है कि यदि यह तारा नहीं होता तो पृथ्वी पर संभवतः जीवन भी नहीं होता। शायद यही उपयोगिता वह कारण है कि हमारा देश चंद्रमा के बाद जिस अंतरिक्षीय पिंड पर सबसे ज्यादा ध्यान लगा रहा है, वह सूर्य ही है। वह सूरज का अध्ययन करने के लिए खुद के मिशन भेज रहा है, अन्य अभियानों में अपना सहयोग दे रहा है। जैसे-हाल में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के साथ सहयोग करते हुए भारतीय राकेट पीएसएसवी-सी95 से प्रोबा-3 नामक मिशन अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। प्रोबा-3 का उद्देश्य सूर्य के बाहरी हिस्से-कोरोना से फूटने वाले किरिणों और सौर लपटों का अध्ययन करना है।

यह अकारण नहीं है कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भारत को चुना। अंतरिक्ष के अनुसंधान में यह एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग का मामला है जिसमें प्रक्षेपण की लागत कम होने और प्रक्षेपणों की सफलता की दर के साथ यह बात भी मायने रखती है कि खुद वह देश अंतरिक्ष में क्या विशेषज्ञता रखता है। भारत ने अपने चंद्रयानों और मंगलयान की सफलता के साथ अंतरिक्ष संबंधी जिज्ञासा और अनुसंधान में अपनी महारत पहले ही साबित कर दी है। अब गगनयान की तैयारियों से भी स्पष्ट है कि जल्द ही भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो जाएगा। पर जिस सूर्य के अध्ययन के लिए ईएसए प्रोबा-3 मिशन भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है, वह सूरज खुद भारत की दिलचस्पियों में पहले ही शुमार हो चुका है। इसकी शुरुआत बीते साल में देश के पहले सौलर मिशन-'आदित्य-एल1' के साथ हो चुकी है। सफल प्रक्षेपण के करीब चार महीने बाद धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तरह यह अंतरिक्षयान जिस एल-1 प्वाइंट पर पहुंचा है, वहां रहकर यह सौरमंडल के इकलौते तारे यानी सूर्य की तमाम बारीकियों का अध्ययन कर रहा है। भारत का सूर्य मिशन आदित्य-एल1 सूरज प्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुईस लैगरेंज के नाम पर लैगरेंज प्वाइंट (एल-1) कहे जाने वाले अंतरिक्ष के एक विशिष्ट बिंदु या स्थान पर है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। इस स्थान पर एक तरह का न्यूट्रल प्वाइंट विकसित हो जाता है जहां अंतरिक्ष यान के ईंधन की सबसे कम खपत होती है। जोसेफ लुईस लैगरेंज ने इस बिंदु की खोज 18वीं सदी में की थी। यह स्थान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। बेशक यह दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी के मुकाबले चार गुना है, लेकिन सूरज हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में सिर्फ एक प्रतिशत दूरी तक आगे जाकर आदित्य-एल1 से सूर्य के बारे में काफी कुछ ऐसा जानने की कोशिश हो रही है, जिसका अभी तक रहस्योद्घाटन नहीं हुआ है। जैसे सौर प्रवाह (सोलर विंड), सूर्य के कारण होने वाले विद्युत-चुंबकीय (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक) विचलन और सौर हलचलों की वजह से पृथ्वी के मौसम या कहें कि जलवायु पर पड़ने वाले असर का सही-सही आकलन और मापन करना अभी भी एक चुनौती है। आदित्य-एल1 पर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकिल फील्ड डिटेक्टरों की मदद से सूर्य की बाहरी सतह यानी फोटोस्फेयर और क्रोमोसफेयर को जानने की कोशिश होगी और यह पता लगाया जाएगा कि इनका पृथ्वी पर क्या असर होता है। अब इस काम में ईएसए का प्रोबा-3 भी एक विशिष्ट सहयोगी की भूमिका निभाएगा।

प्रोबा-3 से जो हासिल होगा: इस मिशन के जरिये असल में ईएसए ने अपने दो उपग्रहों-कोरोनाग्राफ और आक्यूल्टर को कृत्रिम रूप से सैकड़ों बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगाने के लिए भेजा है। ऐसा करके विज्ञानी सूर्य के बाह्य वातावरण यानी कोरोना के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज के चारों ओर दिखने वाला चमकीला सफेद घेरा ही असल में कोरोना है, जो बाकी समय में नजर नहीं आता है। पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में स्थापित होने पर ये दोनों उपग्रह एक दूसरे से लगभग 150 मीटर के फासले पर जोड़े के रूप में उड़ान भरते रहेंगे। इस तरह ये दोनों उपग्रह अगले दो साल की अवधि में सैकड़ों बार ऐसी स्थिति में आएंगे कि वे परस्पर 492 फीट की दूरी पर आ जाएं ताकि एक उपग्रह पर लगी डिस्क दूसरे उपग्रह पर स्थापित टेलीस्कोप को अपनी छाया में ले सके। ऐसी परछाईं पड़ने पर वहां सटीक ढंग से कृत्रिम पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। सूर्य ग्रहण लगाने का फायदा यह है कि ऐसी स्थिति में उपकरणों से सूरज के कोरोना की गहन पड़ताल की जा सकती है। असल में सूरज के वातावरण की सबसे बाहरी परत-कोरोना सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं देती है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। प्राकृतिक रूप से होने वाले कई वर्षों में चंद मिनटों के लिए लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान खगोलविदों के पास इतना मौका नहीं होता कि वे अपने खास उपकरणों से कोरोना का विस्तृत अध्ययन कर सकें। इसलिए ईएसए ने प्रोबा-3 मिशन की मदद से कोरोना के विस्तृत अध्ययन की योजना बनाई है। प्रोबा-3 के उपग्रह सैकड़ों बार जो कृत्रिम सूर्य ग्रहण लगाएंगे, उनमें से प्रत्येक छह घंटे की अवधि वाला होगा। ऐसे में विज्ञानी अपने उपकरणों से व्यापक प्रेक्षण लेते हुए कोरोना की अच्छी तरह से पड़ताल करने में सफल हो सकते हैं। यहां सवाल है कि आखिर सूर्य के कोरोना में ऐसा क्या है जो विज्ञानियों को उसके अध्ययन के लिए प्रेरित कर रहा है।

सौर लपटों का रहस्य: अध्ययनों से पता चला है कि प्राकृतिक ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा की वजह से सूरज की रोशनी बाधित होती है, जो सूर्य की सतह की तुलना में कई गुना ज्यादा गर्म कोरोना ज्यादा तापमान होने के बावजूद कम रोशनी बिखेरता है। यह एक रहस्य है जिसे विज्ञानी सुलझाना चाहते हैं। इसके अलावा एक विस्फोट के रूप में निकलने वाली सौर लपटों यानी 'कोरोनल मास इजेक्शंस' (सीएमई) को समझने की कोशिश भी की जा रही है। चूंकि इस विस्फोट यानी सीएमई के दौरान कोरोना से अत्यधिक मात्रा में प्लाज्मा और चुंबकीय विकिरण सूरज की सतह से फूटता है, तो उससे हमारी पृथ्वी प्रभावित होती है। खास तौर से दूरसंचार नेटवर्कों, संचार उपग्रहों और पावरग्रिडों के संचालन में इस विकिरण के कारण व्यवधान पड़ता है। ऐसे में यदि कोरोना और उससे होने वाले विस्फोटीय विकिरण के रहस्य को सुलझा लिया गया तो सौर लपटों से बचाव के प्रभावी तरीकों की खोजबीन भी हो सकती है।

कैसे असीमित ऊर्जा का स्रोत बना सूरज

हमारे इस सूरज में ऊर्जा का बिस्फोट कैसे होता है? इसे लेकर लंबे समय तक भ्रांतियां कायम रहीं। जैसे आरंभ में वैज्ञानिक मानते थे कि सूरज पर आक्सीजन और हाइड्रोजन का परस्पर दहन होता है जिससे असीमित ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि ऐसा होने पर तो सूरज 3000 साल में ही बुझ चुका होता। इसके बाद 1842 में दावा किया गया कि सूरज पर निरंतर गिरते उल्कापिंड उसकी ऊर्जा का कारण हैं, जो घर्षण से जल उठते हैं और विशाल ऊर्जा पैदा करते हैं, लेकिन यह विचार भी इस ठावे के साथ खारिज हो गया कि ऐसा होने पर तो सूरज का द्रव्यमान बढ़ता चला जाता और इसका असर सौरमंडल के ग्रहों के कक्षीय वेग पर भी पड़ता। फिर सूर्य के संकुचन को सूरज में पैदा होने वाली ऊर्जा का कारण बताया गया। इसमें कहा गया कि यदि सूरज हर साल 20 मीटर तक संकुचित होता रहे, तो यह अगले पांच करोड़ साल तक ऊर्जा दे सकता है, लेकिन बाद में साबित हुआ कि सूर्य की उम्र तो इससे भी ज्यादा है। 1920 में रेडियोएक्टिव सक्रियता को इस ऊर्जा की वजह बताया गया, पर यह सिद्धांत भी गलत साबित हुआ। और तब 1929 में कहा गया कि परमाणुओं के नाभिक द्वारा ब्राह्म प्रोटान ग्रहण करने से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद 1939 में सीएनओ (कार्बन-नाइट्रोजन-आक्सीजन) साइकिल नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार कहा गया कि जब कार्बन नाभिक अतिरिक्त प्रोटान ग्रहण करता है, तो उससे ऊर्जा पैदा होती है। हालांकि इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां पाई गईं, क्योंकि सूरज के मामले में यह पूरी तरह सही साबित नहीं होता था।

इसके उपरांत प्रोटान-प्रोटान साइकिल का सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार सूर्य की सतह पर छह हाइड्रोजन नाभिक एक ही समय में संलयन प्रक्रिया के जरिये हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं और उसे दौरान दो हीलियम नाभिक अपने मूल रूप में लौट जाते हैं। इस प्रक्रिया में बनने वाले नए नाभिकों का वजन (द्रव्यमान) उन्हें बनाने वाले मूल नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। वजन में होने वाली यह कमी द्रव्यमान क्षति कहलाती है, जिस कारण ऊर्जा का परिवर्तन होता है। इस प्रोटान-प्रोटान साइकिल के कारण ही सूरज पर प्रति सेकेंड 50 लाख टन हाइड्रोजन ऊर्जा में बदल रही है, पर इसके बावजूद हमारा यह केंद्रीय तारा अगले 4.5 करोड़ वर्षों तक जीवित रहते हुए पृथ्वी समेत पूरे सौरमंडल को ऊर्जा देता रह सकता है। सूरज असल में एक ढायनामो की तरह काम कर रहा है। जिस तरह ढायनामो में यांत्रिक ऊर्जा बिजली में बदलती है, उसी तरह सूर्य की सतह पर भी ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में बदलता रहता है।

-अभिषेक कुमार सिंह

खरी-खरी

नेताजी की वी टीम

डा. प्रदीप मिश्र

नेताजी का बुलावा था। इसलिए, 'दीन दयालु बिरदु संभारी...' का जाप करते हुए मैंने उनकी कुटिया में प्रवेश किया। चरणों पर गिरकर उठ भी नहीं पाया था कि उनकी आवाज गूंजी, 'राजनीति के कौन से इलाके में रमण कर रहे हो बालक!'

'जो आपने सौंप रखा है। आदेश दीजिए।' 'ऐसा करो कि अपने इलाके में थोड़ा इजाफा करो और चारों तरफ फैलकर हमारी वी टीम की तरह कार्य करो। बोलो मंजूर है?' 'जी क्या मैं तो आपकी जेड टीम की तरह कार्य करना भी सौभाग्य मानूंगा।' 'तो ऐसा करो आज इसी वक्त से तुम हर जगह घूम-घूमकर मुझे गालियां देना शुरू करो।' 'कैसा पाप करवा रहे हैं मालिक?' 'पाप नहीं सेवा है बत्स। क्या है कि दूसरी जाति के होने के कारण तुम मेरी निंदा करोगे तो मैं उसे अपनी जाति के स्वाभिमान से जोड़ दूंगा। मेरी जाति के वोटर तुमसे और तुम्हारी जाति वालों से घृणा करने लगेंगे। और लामबंद होकर एकमुश्त वोट मुझे दे देंगे।'

'मेरे मुंह से अपनी निंदा निकलेगी कैसे प्रभु?' 'यही तो तुम्हारी परीक्षा है। यह लो मेरे तमाम दुराचरणों की सूची। इन्हीं के आधार पर तुम्हें मेरी निंदा करनी है।' सूची पढ़कर मैंने कहा, 'प्रभुजी किसी पर इतना ज्यादा विश्वास ठीक नहीं। भविष्य में मैं आपकी इन जानकारियों का अनुचित लाभ उठा सकता हूं। आपको ईडी, सीबीआइ... के हवाले करवा सकता हूं।' 'देखो राजनीतिक शतरंज में पहली चाल, पचासवीं चाल सोचने के बाद चली जाती है। फिर ईडी-सीडी तो नेता-प्रेंडली होती हैं। बाबुआ, तुम्हें इन जानकारियों का लाभ भविष्य में नहीं वर्तमान में आज से ही उठाना है। मुझे निःसंकोच बदनाम करो। आरोप लगाओ। प्रमाण दो।' कहकर नेताजी ने मुझे सेक्रेटरी के पास भेज दिया। उसने नेता-निंदा में ट्रेंड, विश्वासपात्र कार्यकर्ताओं की लिस्ट दी। दुष्प्रचार करने के लिए नोटों से भरे एक बैग के साथ मुझे एक कार की चाबी भी पकड़ाई गई।

मैं अब नेताजी की धुंआधार निंदा कर रहा हूं। मुझ पर नेताजी की वी टीम होने के आरोप लग रहे हैं। मैं पुरजोर तरीके से इसे नकार रहा हूं, लेकिन सुबह जागते ही उनका आशीर्वाद लेना मैं कभी नहीं भूलता।

X पोस्ट

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बर हिंसा पर संसद को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। बांग्लादेश और शेष विश्व को दो टूक संदेश आवश्यक है।
@Amitabh2 अमिताभ अग्निहोत्री

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए नकदी योजना का एलान किया है। भाजपा और कांग्रेस यकीनन उनसे बड़ी एवं लुभावनी घोषणाएं करेंगी। पता नहीं मुफ्तखोरी की यह होड़ कहां जाकर थमेगी?
सुशांत झा @jhasushant

झूठे आरोपों से त्रस्त बेंगलुरु में युवा इंजीनियर की आत्महत्या से बहुत दुख पहुंचा। निःसंदेह महिलाओं के लिए संरक्षे आवश्यक है, लेकिन न्याय केवल एकतरफा नहीं हो सकता। समता और प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत को लैंगिक-निरपेक्ष कानून अपनाने ही होंगे।
मिलिंद देवरा @milinddeora

एक देश-एक चुनाव बिल पर बात आगे बढ़ना शुभ संकेत है। इससे चुनावी खर्च घटाने, सरकारों का स्थायित्व बढ़ाने, प्रशासन को सुसंगत बनाने, नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने और भ्रष्टाचार से निपटने एवं मतदाताओं की सक्रियता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हर्ष गोयनका @hvgoenka

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या महिला संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या जस्टिस शेखर कुमार यादव के विरुद्ध महाभियोग लाने की मांग सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

लालू जी का मिल गया ममता दी को साथ,
सतरे में दिखने लगा राहुल जी का 'हाथ'।
राहुल जी का 'हाथ' किसी को भी ना भाता,
हर दल उनसे आज दिख रहा है कतराता।
रही समझौते आम स्वयं को बड़का चालू,
पर बिहार में पांव नहर्ने देंगे लालू!
- ओमप्रकाश तिवारी

शिशिर शुक्ला
विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग, स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय, शाहजहांपुर

इंटरनेट मीडिया पर आस्ट्रेलिया ने दिखाई सही राह

हाल में आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया। यह प्रविधान भी किया कि अगर फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटाक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफार्म बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में सफल नहीं होते हैं तो इन पर चांच करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आस्ट्रेलियाई सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। इंटरनेट मीडिया निश्चित रूप से एक वरदान है, किंतु आज के परिदृश्य में यदि गौर किया जाए तो युवाओं एवं बच्चों को पथभ्रमित करने का सबसे बड़ा माध्यम भी है। इंटरनेट मीडिया का सर्वाधिक इस्तेमाल किशोरवर्ग द्वारा किया जाता है। अपने छोटे-छोटे क्रियाकलापों की वीडियो रील्स बनाकर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट करना और फिर इसके बाद लाइक्स एवं कमेंट्स के जंजाल में लंबे समय तक फंसे रहना बच्चों की एक दिनचर्या सी बन चुकी है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर बच्चे अपना कीमती समय किस हद तक जाया कर रहे हैं, इसका अंदाजा स्वयं उनको भी नहीं है। यह कुछ और नहीं, बल्कि उनके बिगड़े हुए एवं दिशाहीन भविष्य की एक नींव तैयार हो रही है। विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर भांतिभांति की अनुपयोगी एवं दिग्भ्रमित करने वाली सामग्रियों की एक लंबी श्रृंखला उपलब्ध है। किशोरों का मन मस्तिष्क अपरिपक्वता से परिपक्वता के मध्य संक्रमण की स्थिति पर मौजूद होता है। लिहाजा ये अनर्गल सामग्रियां उन्हें बड़ी सहजता से आकर्षित करके अपने शिकंजे में ले लेती हैं।

भारत में भी आस्ट्रेलिया जैसे कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि किशोरवर्ग आभासी संसार की गिरफ्त में आकर अपने आप को दिशाहीन होने से बचा सके। प्रतीकात्मक

आस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार 14 से 17 वर्ष तक के लगभग दो तिहाई बच्चों ने ऐसी सामग्री आनलाइन देखी है, जो बेहद हानिकारक है। एक चौथाई बच्चों द्वारा ऐसा कंटेंट देखा गया है, जो असुरक्षित खानपान की आदतों को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त 95 प्रतिशत अभिभावक आनलाइन सुरक्षा को एक गंभीर चुनौती की तरह देखते हैं। आस्ट्रेलिया द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक अश्लील कंटेंट की पहुंच को रोकने के लिए भी उपायों की तलाश की जा रही है। हाल में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा गया कि चाइल्ड पोर्न सामग्री को देखना, डाउनलोड करना एवं संग्रह करना बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून एवं इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी कानून के तहत अपराध है। इसके अतिरिक्त शीर्ष अदालत द्वारा यौन शिक्षा को व्यापक रूप से लागू करके युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने का निर्देश भी दिया गया।

इंटरनेट मीडिया वस्तुतः एक आभासी संसार की तरह होता है, जहां पर किशोर एवं युवा वर्ग अपनी वास्तविक प्रसन्नता की खोजने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं होता कि यह आभासी संसार वास्तव में एक चक्रव्यूह की तरह है जिससे बाहर निकल पाना नितांत मुश्किल कार्य है। कम उम्र में इंटरनेट मीडिया के अत्यधिक उपयोग की वजह से किशोरवर्ग पर अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इन दुष्प्रभावों में मानसिक रोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक शोध के अनुसार लंबे समय तक इंटरनेट मीडिया का प्रयोग करने से किशोरवर्ग में अवसाद, हताश की भावना, हीनभावना, अनिद्रा, कब्ज, निर्णय लेने में अक्षमता एवं तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ब्रिटेन की नेस्ट नामक संस्था द्वारा किए गए शोध के अनुसार वयस्कों में किसी कार्य के प्रति अपना फोकस बनाने में पर्याप्त समय लगता है एवं यदि किसी कारणवश उस कार्य से ध्यान भटक जाए तो फिर पुनः फोकस स्थापित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

इंटरनेट मीडिया के नोटिफिकेशन हर मिनट पर ध्यान भटकाते रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आजकल 24 घंटे में औसतन छह घंटे बच्चे आनलाइन रहने लगे हैं। निस्संदेह यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। खास बात यह है कि इंटरनेट मीडिया पर अपने द्वारा पोस्ट की गई किसी सामग्री पर आने वाले लाइक्स, व्यूज एवं कमेंट्स को बच्चे किसी आकर्षक पुरस्कार से कम नहीं समझते। जहां प्रशंसात्मक टिप्पणी से उनके अंदर छद्म प्रसन्नता एवं उत्साह का संचार होने लगता है वहीं नकारात्मक कमेंट अथवा मजाकिया टिप्पणी एवं ट्रोलिंग का शिकार होने पर वे झूठी चिंता एवं हीनभावना की गिरफ्त में आ जाते हैं। इस मानसिक स्थिति से बाहर आना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है एवं ऐसी मानसिक दशा की परिणति कभी-कभी आत्महत्या के रूप में भी होती है।

भारत में भी आस्ट्रेलिया जैसे कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि किशोरवर्ग असमय आभासी संसार की गिरफ्त में आकर अपने आप को दिशाहीन गति से बचा सके।

मंथन

रोहित त्रिशिक
वरिष्ठ पत्रकार

रुकनी चाहिए रैगिंग की घटनाएं

शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा पहुंचा कर आनंद प्राप्त कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह मनोरोग का शिकार है

हाल में गुजरात के पाटन में एक मेडिकल कालेज में रैगिंग के कारण एक छात्र की मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उस छात्र को लगातार तीन घंटे तक प्रताड़ित किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के होलीक्रास महिला महाविद्यालय में भी रैगिंग का एक मामला सामने आया है। इस महाविद्यालय में एक छात्रा ने सीनियर छात्रों पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। कुछ समय पहले रैगिंग के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन. वेंकटेश ने दोषी छात्रों को फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि आप रैगिंग जैसे घृणित कृत्य में लिप्त होंगे तो आपके कालेज आने का क्या लाभ है? ऐसे कृत्यों में लिप्त होने से बेहतर होगा कि आप अनपढ़ और अशिक्षित ही बने रहें। यदि कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा पहुंचा कर आनंद प्राप्त कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह मनोरोग का शिकार है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो ये अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे समाज को बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन पर सवाल उठाने के साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश ईमानदारी के साथ कर रहे हैं?

दरअसल रैगिंग झेल रहे छात्र दोहरे शोषण के शिकार होते हैं। ऐसे छात्रों का एक तो शारीरिक शोषण होता है, जो सीनियर छात्र करते हैं, लेकिन जब इस शारीरिक शोषण का प्रभाव मानसिक शोषण के रूप में होता है तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। अब हमें यह सोचना होगा कि सीनियर छात्रों की मानसिकता में परिवर्तन कैसे लाया जाए। रैगिंग एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। रैगिंग में शामिल सीनियर छात्र अपने साथ हुआ बुरा व्यवहार जूनियर छात्रों पर दोहराना चाहते हैं। सीनियर छात्रों में अपने आपको बड़ा सिद्ध करने एवं रौब झाड़ने की प्रवृत्ति काम करती है। वहीं रैगिंग के चलते जूनियर छात्रों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता है और वे अपने आपको अपमानित महसूस करते हैं। ऐसे छात्र कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस तरह यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसे मनोवैज्ञानिक रूप से ही हल किए जाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रैगिंग रोकने लिए नियमों-कानूनों का पालन ही न किया जाए। ऐसी घटनाओं में आरोपी छात्रों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। रैगिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से जहां एक ओर सीनियर छात्रों को एक नया सबक मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जूनियर छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट का शिक्षण संस्थानों को निर्देश है कि रैगिंग के लिए संस्थान ही जिम्मेदार माना जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को पत्र भेजकर रैगिंग रोकने के निर्देश देता रहता है। हर शिक्षण संस्थान दाखिला देने से पहले छात्रों से हलफनामा भी लेता है कि रैगिंग जैसी घटना में शामिल पाए जाने पर उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। रैगिंग रोकने के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समितियां बनाई जाती हैं। ऐसे घटनाएं होने पर संस्थान की मान्यता रद्द करने का प्रविधान भी है,

रैगिंग को रोकने के लिए अभियान आए आगे। फाइल

लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद रैगिंग की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अब तो यह प्रवृत्ति पब्लिक स्कूलों में भी बढ़ रही है। कई बार संस्थान ऐसी घटनाओं को छिपाने का प्रयास करते हैं। ऐसी घटनाओं का छिपाने का प्रयास ठीक उसी तरह है जैसे बीमार व्यक्ति द्वारा रोग को छिपाने का प्रयास करना। रोग को जितना छिपाया जाएगा, वह उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। इस रैगिंग रूपी रोग को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों को अपने परिसर में बेहतर माहौल बनाना होगा। उन्हें छात्रों के अंदर व्यावहारिक रूप से नैतिक मूल्य विकसित करने की कोशिश करनी होगी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि शिक्षण संस्थान भाषणों में तो नैतिक मूल्यों की बात बहुत करते हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर ऐसा कोई प्रयास करते दिखाई नहीं देते हैं। हमें यह समझना होगा कि रैगिंग की घटनाएं सिर्फ कानून के बल पर रुकने वाली नहीं हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें सामूहिक रूप से भी प्रयास करना होगा। जो बच्चे रैगिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके अभिभावकों को यह जानने का प्रयास करना होगा कि उनके बच्चों के अंदर श्रेष्ठता और रौब गालिब करने की भावना क्यों पनप रही है? अगर इस तरह के मामलों में अभिभावक हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए तो यह समस्या और अधिक बढ़ेगी।

****

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 13 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

संसद में दलदल

संसद बुरी तरह निराश कर रही है। लोगों की अपेक्षाएं ध्वस्त हो रही हैं। लोक सभा में इस समय जो हो रहा है, वैसे तो वह लंबे समय से सिलसिला बना हुआ है, लेकिन अब लगता है कि संसद को, संसद की गरिमा को और संसद के प्रति जन आस्था को जिस दल-दल में फंसा दिया गया है, वहां से इसका उबरना या अपने धवल रूप में बाहर आना संभव नहीं रह गया है। संसद के इस तरह निरर्थक बना देने के लिए न कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, न कोई एक दल और न कोई एक मुद्दा। हर मुद्दा विवादित, हर व्यक्ति उत्तेजित और हर दल आक्रामक है। सरकार संसद न चलने देने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाती रहती है, और विपक्ष इसके लिए सरकार को कठघरे में खड़ा करता रहता है। सभापति या अध्यक्ष जैसे जिन पदों पर तटस्थ, निष्पक्ष और निर्णायक भूमिका में बने रहने की अपेक्षा होती है, वे डगमगाहट के शिकार होने लगे हैं। ऐसा पहली बार है कि राज्य सभा के सभापति के विरुद्ध विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। यह घटना अब तक के संसदीय इतिहास की अपनी तरह की पहली घटना है, और इसे काले धब्बे की तरह याद किया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि उपराष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते। नेता विपक्ष के प्रति अवांछित भाषा एवं व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। भाजपा के प्रवक्ता के बतौर काम करते हैं। सरकार के झूठ का खंडन नहीं करने देते। ऐसे सभापति को पद पर नहीं रहना चाहिए। सरकार इसे विपक्ष की अतिवादिता बताती है, और विपक्ष का निम्न आचरण करार देती है। सरकार और विपक्ष के बीच यह ऐसा गतिरोध है जिसका कोई समापान नहीं है। विपक्ष को पता है कि राज्य सभा में उसके पास संख्यावल नहीं है, और अविश्वास प्रस्ताव को गिर जाना है, लेकिन शायद विपक्ष इस प्रस्ताव की भावी दुष्परिणति की कल्पना नहीं कर पा रहा है। इसने सरकार को और अधिक बेथर बना दिया है। हो सकता है कि वह अपने सभापति के किसी आचरण या विशेष कृत्य को उचित न मानती हो, लेकिन कमर कस के सभापति के पक्ष में खड़ी रहेगी और संसद चले या नहीं चले, विपक्ष की मंशा पूरी नहीं होने देगी। विपक्ष को यह प्रस्ताव लाने से बचना चाहिए था। इससे उसने न अपना भला किया है, और न संसद का, न लोकतंत्र का और न देश की जनता का।

भ्रामक वादे क्यों

सौंदर्य प्रसाधन क्रीम, जो गोरापन बनाने का दावा करती है, पर उपभोक्ता फोरम ने पंद्रह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2013 में उसने यह क्रीम 79 रुपये में खरीदी थी। उसका इस्तेमाल करने के बावजूद उसकी त्वचा गोरी नहीं हुई, जैसा कि उसका वादा था। फोरम ने गौर किया कि उसने उत्पाद की पैकेजिंग और लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार क्रीम का नियमित रूप से प्रयोग किया। कंपनी का कहना था, शिकायतकर्ता साबित करने में असमर्थ है कि उसने निर्देशानुसार क्रीम का उपयोग किया। उत्पाद पर अंतिम लिखित तर्कों पर है कि उत्पाद 16-35 आयु वर्ग के सामान्य पुरुषों (बीमार लोगों के नहीं) के लिए है। फोरम का सवाल है, बीमार से क्या मतलब है? उपभोक्ता फोरम ने माना कि कंपनी जानती थी कि लिखित निर्देश अधूरे हैं। अन्य आवश्यकताओं का पालन न करने पर इसके वे परिणाम नहीं मिलेंगे, जिसका दावा किया गया है। वांछित परिणामों के लिए उचित पौष्टिक आहार, व्यायाम, अच्छी आदतों और स्वच्छ रहने की आवश्यकता बताई गई है। देश में त्वचा की रंगत सुधारने का दावा करने वाली क्रीमों का बड़ा बाजार है। बीते साल इन क्रीमों ने पांच हजार करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया। तमाम विवादों के चलते गोरापन बढ़ाने का दावा करने वाली सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम ने अपने चर्चित नाम से गोरेपन को हटा कर सबको चौंका दिया था। भारतीयों में गोरी चमड़ी के प्रति आकर्षण कम होता नहीं नजर आ रहा जिसका फायदा ये बड़ी सौंदर्य कंपनियां अरसे से उठाती रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि इन क्रीमों के ज्यादा इस्तेमाल से किडनी संबंधी बीमारियों की आशंका बढ़ सकती हैं। ऐसी गंभीर आशंकाओं की अनदेखी उचित नहीं है। बात सिर्फ मुआवजा देने भर की नहीं है। त्वचा की रंगत को लेकर उपभोक्ताओं के भीतर विभेद उपजाना जायज नहीं कहा जा सकता। त्वचा का रंग प्राकृतिक रूप से स्थानीय वातावरण, रहन-सहन और क्षेत्रीयता पर निर्भर है जिसे कमतर या बेहतर साबित कर बाजार उपभोक्ताओं का मानसिक शोषण करता रहा है। सरकार को ऐसे भ्रमपूर्ण विज्ञापनों पर सख्ती करने के साथ, ऐसे उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाने सरीखे कदम उठाने से परहेज नहीं करना चाहिए।

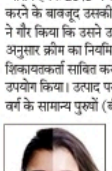

स्वास्थ्य कवरेज/शकुंतला देवी

हर किसी की महती जरूरत

दुनिया की सभी सरकारें, स्वयंसेवी संगठन और जनहित के लिए बने अस्पतालों की कोशिश रही है कि बीमारियों से छुटकारा दिला कर लोगों को सुखी किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य भी यही है कि दुनिया के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्यरक्षक दवाएं मुहैया हों और लोग बीमारियों से छुटकारा पाकर सुखी जिंदगी गुजारें। इसके मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाने की घोषणा की और दुनिया को सभी देशों को प्रेरणा दी कि इसके लिए अपनी प्रतिबद्धताएं स्वीकारें। इस दिवस को मनाने के पीछे सब को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए दुनिया के देशों को प्रोत्साहित करना था।

आज दुनिया में खासकर विकासशील देशों में सब को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना बड़ी चुनौती है। शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी देहात में रहने वालों से कहीं ज्यादा भाग-दौड़ वाली है, जिससे उनकी सेहत अच्छी नहीं रह पाती। इसके लिए जरूरी होता है कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें जिससे वे बीमारियों से पार पा सकें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि शहरीकरण के उच्च स्तर वाले शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच चिकित्सा संसाधनों में अंतर होता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवा मुहैया करके इस संकट का समाधान प्रदान करती है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में रहते हों। जाहिर है भारत जैसे विकासशील देश, जहां बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज आशा की किरण लेकर आती है। पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए जहां कई एम्स खोले हैं वहीं अनेक स्वास्थ्य योजनाओं-आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, जननी शिशु सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन ओषधि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मिशन इंद्र धनुष और राष्ट्रीय आयुष मिशन जैसी अनेक योजनाएं-का लाभ आम आदमी खासकर गरीब तबकों को मिल रहा है। भारत में अभी भी ऐसे केंद्र नहीं हैं, जो गरीब और उनके परिवारों को ले जाकर बगैर किसी भेदभाव के समुचित इलाज कराएं और मरीज को मौत के मुंह में जाने से बचाएं। इस कमी पर केंद्र और राज्य सरकारों को गौर करने की जरूरत है।

अनमोल वचन

सत्य से कीर्ति प्राप्त की जाती है और सहयोग से मित्र बनाए जाते हैं।
-कौटिल्य अर्थशास्त्र

सोचना दोनों तरफ से हो

सामयिक

नवल किशोर कुमार

कृत्रिम मेधा के विशेषज्ञ अतुल सुभाष द्वारा खुदकुशी के पूर्व के नोट्स और वीडियो कुल मिला कर जो बात कहते हैं, उनका सार यही है कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें मजबूर कर दिया। उनका कहना था कि शादी के 5 साल में ही पत्नी, ससुराल, पक्षपाती कानून व्यवस्था ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। फिर पत्नी द्वारा 3 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा जाना, पत्नी द्वारा उन्हें अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखने दिया जाना और जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज द्वारा केस निपटाने के लिए 5 लाख रुपये रिश्वत मांगे जाने की बात भी उन्होंने कही। सोशल मीडिया पर इस मामले को तमाम तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। इनमें एक यह भी कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इनमें बदलाव की आवश्यकता है।

जाहिर तौर पर यह कोई एक मामला नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हमारे समाज में घटित होती रहती हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि वहां खुदकुशी कर ले और समाज उसकी खुदकुशी को आधार बना कर महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों में मीनमेख निकालने लगे। दरअसल, हमें यह देखना चाहिए कि ऐसे कितने मामले होते हैं, जिनमें महिलाएं पुरुषों के ऊपर अत्याचार करती हैं। दहेज के लिए उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। आज भी भारतीय समाज में जब किसी के घर में बेटी जन्मती है, तो उसके पिता को इस बात की चिंता पहले परेशान करने लगती है कि जब वह बड़ी होगी तो उसके लिए दहेज का इंतजाम कैसे करेगा।

वे एक साथ दो काम करते हैं। अपनी बेटी को पढ़ाने-लिखाने के लिए व्यय करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी शादी में वर पक्ष को दहेज देने के लिए बचत करना भी प्रारंभ कर देते हैं। यह समस्या हिन्दी प्रदेशों में रोज-ब-रोज बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि लड़का यदि सरकारी नौकरी में है तो उसके माता-पिता दहेज के लिए मोटी रकम तय कर देते हैं। फिर चाहे वह चपरासी की नौकरी ही क्यों न करता हो। अतुल सुभाष का मामला अलग है। हमें यह देखना चाहिए कि वह स्वयं आईटी प्रोफेशनल हैं, और उसकी पत्नी भी यानी दोनों कामकाजी। आजकल की जीवनशैली ऐसी हो गई है कि कब शादी हो और कब तलाक हो जाए, पता नहीं चलता। दरअसल, अब जीवन में स्वतंत्रता का महत्व बढ़ा है। यह आज की पीढ़ी बहुत अच्छे से समझने लगी है। खासकर वह पीढ़ी जिसके पास उच्च शिक्षा है। लड़कियों की उच्च शिक्षा के कारण उनमें फैसले लेने की क्षमता का

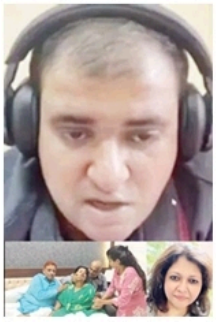

विकास हुआ है और इससे किसी को इंकार नहीं हो सकता कि पति अब पहले की तरह उनके लिए परमेश्वर नहीं रह गए हैं। वे आज घरेलू हिंसा सहने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां तक कि जो अपने पैरों पर खुद खड़ी हैं, वे किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं हैं। यहां यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि अतुल सुभाष ने खुदकुशी के पूर्व अपनी पत्नी और उसकी मां पर किस तरह के आरोप लगाए हैं क्योंकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो तभी समझा जा सकेगा, जब दूसरा पक्ष इस बारे में अपनी बात कहे।

आरोप तो अतुल सुभाष ने एक जज के ऊपर भी लगाया, तो क्या इसका मतलब यह समझा जाय कि पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। इससे इंकार नहीं है कि भारतीय न्यायालयों में भ्रष्टाचार अहम सवाल रहा है। हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सेवारत न्यायाधीश ने संविधान विरोधी बात कही कि इस देश में केवल बहुसंख्यकों का कानून चलेगा तो क्या हम केवल एक के कहने से पूरी न्याय-व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर देंगे। वर्ष 2018 को गुजरे लंबा समय नहीं गुजरा जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उन्मूलन अधिनियम को कमजोर करने के संबंध में आदेश दिया गया, जिसके कारण पूरे देश में आंदोलन हुए और भारत सरकार को संविधान संशोधन विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाना पड़ा था। उस मामले में भी तर्क यही दिया गया था कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उन्मूलन कानून का दुरुपयोग कर ऊंची जातियों के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है।

असल में हमें व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए कि आज भी परिस्थितियां क्या हैं। स्वयं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मातहत काम करने वाली संस्था राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2022 में देश में दहेज के लिए 6400 महिलाएं मार दी गईं। इनमें सबसे अधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई थीं। दहेज उत्पीड़न की घटनाओं की बात करें तो वर्ष 2020 में दहेज प्रथा उन्मूलन कानून-1961 के तहत कुल 10 हजार 366 मामले दर्ज किए गए थे। पति और उसके परिजनों द्वारा हिंसा से संबंधित मामलों की बात करें तो वर्ष 2020 में भारतीय दंड संहिता के सेक्सन 498ए के तहत 11 हजार 549 मामले दर्ज किए गए थे।

आंकड़ों के इतर भी सच्चाई यह है कि आज भी देश में महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिकता उनके अपने घरों में हासिल है। पितृसत्ता के जुल्मों का शिकार वह आज भी हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि माहौल बदला है। कुछ महिलाओं ने जुल्म का प्रतिकार करना भी शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा है कि आज देश के परिवार न्यायालयों में मामलों की संख्या बढ़ी है। यह सुखद तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता लेकिन इस पर हमें अफसोस जताने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी महिलाओं को उनका वाजिब अधिकार नहीं दिया है।

बहरहाल, अतुल सुभाष की खुदकुशी की घटना दुखद है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन यह कहना कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून ही पूर्णतया गलत हैं, न केवल जल्दबाजी होगी, बल्कि अन्यायपूर्ण भी। समाधान तो तभी निकलेगा जब देश में पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन के जैसा कोई आंदोलन चले जो माने कि स्त्री-पुरुष के बीच पति-पत्नी नहीं, बल्कि मित्रता का रिश्ता हो, उनके बीच समानता हो और एक-दूसरे के प्रति कृतज्ञता और सम्मान हो। ऐसा नहीं चलेगा कि एक पिता को उसकी बेटी का कन्यादान करना पड़े और जिससे वह ब्याही जाए, वह उसे दान में मिली एक 'वस्तु' समझता रहे।

(लेख में विचार निजी हैं)

अतुल सुभाष की खुदकुशी की घटना दुखद है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन यह कहना कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून ही पूर्णतया गलत हैं, न केवल जल्दबाजी होगी, बल्कि अन्यायपूर्ण भी। समाधान तो तभी निकलेगा जब देश में पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन के जैसा कोई आंदोलन चले जो माने कि स्त्री-पुरुष के बीच पति-पत्नी नहीं, बल्कि मित्रता का रिश्ता हो, उनके बीच समानता हो और एक-दूसरे के प्रति कृतज्ञता और सम्मान हो

निहायत शर्मीला जानवर होता है हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड)

- हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड) अमूमन स्नो लाइन के पार यानी 10 हजार फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। मनुष्य को देख कर छिप जाने वाला यह जानवर निहायत शर्मीला होता है
- सामान्य तेंदुए के मुकाबले छोटा होता है, लेकिन इसकी पूंछ लंबी होती है। स्नो लेपर्ड पंगुडोम ऊलेस्मेंट रिपोर्ट-2019 के मुताबिक, हिमालयी क्षेत्र में 718 स्नो लेपर्ड हैं
- पंद्रह हजार फुट की ऊंचाई पर चट्टानों में रहने वाला मरल (सींगों वाला हिरण जैसा पशु) हिम तेंदुए का पसंदीदा शिकार है। शुरुआतों में बारहसिंगे भेड़ों भी उसका निवाला होती हैं
- आम तेंदुए आलसी शिकार के अवसरों का इंतजार करते रहते हैं, और मुंह लगने पर इसे घिर जा लेते हैं। लेकिन हिम तेंदुआ अपना छोटा हुआ बासी मांस तक नहीं खाता। उसे ताजा शिकार चाहिए अन्यथा होती है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

तथ्य यह है कि पुरुष भी टूटते हैं। निकिता सिंघानिया और जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी आत्महत्या के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। लैंगिक समानता अब दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। भारत की न्याय प्रणाली एक मजाक है।

पल्लवी मौर्य, पत्रकार
@Pallavimaurya_

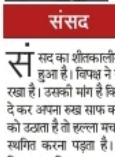

कैसे खत्म हो गतिरोध

संसद

रजनीश कपूर

संसद का शीतकालीन सत्र पहले दिन से हंगामेदार बना हुआ है। विपक्ष ने सरकार को अदानी मुद्दे पर घेर रखा है। उसकी मांग है कि सरकार अदानी मुद्दे पर बयान दे कर अपना रुख साफ करे। परंतु जैसे ही विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है तो हल्ला मच जाने के कारण संसद के सत्र को स्थगित करना पड़ता है। राज्य सभा में भी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।

पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि जब भी विपक्ष सरकार को भ्रष्टाचार या अन्य किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करता है तो संसद का वह सत्र शोर-शराबे के बीच बर्बाद हो जाता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जब भी सरकार के पास उनके सवालों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं होता तो संसद को ठप कर देती है पर इसके लिए विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहराती है। भ्रष्टाचार की बात करें तो दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार के सूचकांक को जारी करने वाली संस्था 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का 28 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक का धन अवैध रूप से विदेशों में जमा है। रिपोर्ट के बाद किसी भी सरकार को हरकत में आना चाहिए था और इस एजेंसी व ऐसी अन्य एजेंसियों की मदद से इस रिपोर्ट के आधार बिन्दुओं की जांच करनी चाहिए थी जिससे भ्रष्टाचार की जड़ पर कुठाराघात किया जा सकता। पर सरकार किसी भी दल की क्यों न रही हो जब-जब उससे इस बारात पूछा गया कि उसने इस रिपोर्ट को लेकर तथ्य जानने की क्या कोशिश की तो सरकार का उत्तर था, चूंकि 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' भारत सरकार का अंग नहीं है, इसलिए उसकी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। यहां 2011 की एक घटना को याद करना उचित होगा। जब सत्ता पक्ष को भ्रष्टाचार के मामले में जोड़-शोर से घेरने वाली भाजपा को ही मीडिया ने घेर लिया था। मीडिया का सवाल था कि सत्ता पक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की मांग करने वाली भाजपा अपनी कर्नाटक सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री येदुरूप्पा के घोटालों के विषय में चुप क्यों है?

भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी ने बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा, 'येदुरूप्पा ने जो कुछ किया, वह अनैतिक है पर अवैध नहीं।' अब इस बयान को पढ़कर कौन ऐसा होगा जो अपना सिर न धुने यानी क्या

भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व सार्वजनिक जीवन में अनैतिक आचरण को स्वीकार्य मान रहा था? यही वजह है कि उस समय की भाजपा की कथनी- करनी में भ्रष्टाचार से लड़ने और उसे समाप्त करने की कोई मंशा दिखाई नहीं दी। सारा शोर राजनैतिक लाभ उठाने को मचाया गया। जनता को संदेश दिया गया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के विरूद्ध है, जबकि हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा भाजपा नेतृत्व भ्रष्टाचार से लड़ना ही नहीं चाहता था। इसलिए उस समय का विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ था जिसका कोई हल निकलने वाला नहीं था और उस समय का गतिरोध यूं ही चलता रहा। न सिर्फ भ्रष्टाचार व अन्य मामलों को लेकर सरकार पर, बल्कि चुनाव आयोग पर भी चुनावों की प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। चुनाव बाद सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों न बने। चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संवियानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग हर चुनाव को पारदर्शिता से कराना चाहिए। यह बात वीते महीनों से विपक्षी दल और अन्य जागरूक नागरिक कर रहे हैं। चुनाव आयोग की प्राथमिकता होनी चाहिए कि हर दल को पूरा मौका दिया जाए और निर्णय देश की जनता के हाथों में छोड़ दिया जाए।

बीते कुछ समय से चुनाव आयोग पर पहले ईवीएम को लेकर और फिर वीवीपैट को लेकर और चुनावी आंकड़ों को लेकर काफी विवाद चल रहा है। हर विपक्षी दल ने एक सुर में आवाज लगाई कि ईवीएम को हटा कर वैलट पेपर पर ही चुनाव कराया जाए परंतु देश की शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए अधिक सावधानी बरतने को कहा और ईवीएम को जारी रखा। 'इंडिया' गठबंधन अगर सोचता है कि वो देश में अदानी मुद्दे और ईवीएम के मुद्दे पर 'वोकोर्स' जैसा माहौल बना लेगा तो संभव नहीं लगता। कारण, वोकोर्स के समय नेतृत्व देने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसी साफ छवि वाला नेता मौजूद था और आज के राजनेताओं में ऐसा एक भी चेहरा नहीं जिसे जनता बेदाग मानती हो। जब नेतृत्व में ही जनता का विश्वास नहीं तो ऐसे मुद्दों पर जन आंदोलन कैसे बनेगा?

हां अगर विपक्ष एकजुट होकर किसी साफ छवि वाले नेता को अपना नेतृत्व सौंपता है, तब संभावना अवश्य है कि जनता का कुछ विश्वास हासिल किया जा सके पर इसमें भी पेच है। ऐसे नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारने में सभी विपक्षी दल मानसिक रूप से तैयार हों। परंतु देश की संसद में गतिरोध पैदा करके सिवाय करदाता के पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस गतिरोध को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए।

विकृतियां

श्रीराम शर्मा आचार्य

विकृतियां दीखती भर ऊपर हैं, पर उनकी जड़ अंतराल की कुसंस्कारिता के साथ जुड़ी रहती है। यदि उस क्षेत्र को सुधारा, संभाला, उभारा जा सके तो समझना चाहिए कि चिन्तन, चरित्र और व्यवहार बदला और साथ ही उच्चस्तरीय परिवर्तन भी सुनिश्चित हो गया। भगवान असंख्य ऋद्धि-सिद्धियों का भंडारागार है। उसमें संकटों के निवारण और अवांछनीयताओं के निराकरण की भी समग्र शक्ति है। वह मनुष्य के साथ संबंध घनिष्ठ करने के लिए भी उसी प्रकार लालायित रहता है, जैसे माता अपने बालक को गोद में उठाने, छाती से लगाने के लिए लालायित रहती है। मनुष्य ही है जो वासना, तृष्णा के खिलौने से खेलता भर रहता है और उस दुलार की ओर से मुंह मोड़े रहता है, जिसे पाकर वह सच्चे अर्थों में कृतकृत्य हो सकता था। उसे समीप तक बुलाने और उसका अतिरिक्त उत्तराधिकार पाने के लिए आवश्यक है कि उसके बैठने के लिए साफ-सुथरा स्थान पहले से ही निर्धारित कर लिया जाए। वह स्थान अपना अन्तःकरण ही हो सकता है। अन्तःकरण की श्रद्धा और दिव्य चेतना के संयोग की उपलब्धि, दिव्य संवेदना कहलाती है, जो नये सिरे से, नये उल्लास के साथ उभरती है। यही उसकी यथार्थता वाली पहचान है, अथवा मान्यता तो प्रतिमाओं में भी आरोपित की जा सकती है। तस्वीर देख कर भी प्रियजन का स्मरण किया जा सकता है, पर वास्तविक मिलन इतना उल्लास भरा होता है कि उसकी अनुभूति अमृत निर्झरिणी उभरने जैसी होती है। इसका अवगाहन करते ही मनुष्य कायाकल्प जैसी देवोपम स्थिति में जा पहुंचता है। उसे हर किसी में अपना आप हिलोरें लेता दीख पड़ता है और समग्र लोक चेतना अपने भीतर घनीभूत हो जाती है। ऐसी स्थिति में परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ बन जाता है। दूसरों की सुविधा अपनी प्रसन्नता प्रतीत होती है और अपनी प्रसन्नता का केंद्र दूसरों की सेवा-सहायता में घनीभूत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने चिन्तन और क्रियाकलाप को लोक-कल्याण में, सत्प्रवृत्ति-संवर्धन में ही नियोजित कर सकता है। व्यक्ति के ऊपर भगवत सत्ता उतरे, तो उसे मनुष्य में देवत्व के उदय के रूप में देखा जा सकता है। यदि यह अवतरण व्यापक हो, तो धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परिस्थितियां ही सर्वत्र बिखरी दृष्टिगोचर होंगी।

रीडर्स मेल

जनसंख्या वृद्धि अनसुलझी पहेली

जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। बढ़ती जनसंख्या एक महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा है। देश की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1.4 बिलियन (140 करोड़) के आसपास है और यह विश्व की पहली सबसे बड़ी जनसंख्या है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि फिलहाल भारत अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को विकास की सीढ़ी नहीं बना पाया है, इसलिए भारत को अब जनसंख्या पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। भारत में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। वर्तमान में भारत दुनिया का पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और इस वृद्धि का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, ऊर्जा, और भूमि पर अधिक दबाव बनता है। जनसंख्या के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इससे पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है, जो देश के विकास के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए।

डॉ. सिद्धार्थ कुमार जौहरी, इंदौर

धर्म की गलत व्याख्या न करें

जमाना ठाकुर्रसुहाती का है। आप उससे कैसे अलग रह सकते हैं। आप अलग रहेंगे। सुनने वाला नहीं। अब यही देखो। मुसलमानों के इबादतखानों को हिन्दू अपना बता रहे हैं। हालांकि ये विवाद पहले भी होते थे। लेकिन तब जहां है जैसा है के अंदाज में इस तरह के विवादों को शांत करा दिया जाता था। आज कथित हिन्दूवादियों को हर विवादित स्थल पर शिवलिंग दिख रहा है जबकि सेय प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि हिन्दू हर विवादित जगह पर ढूंढ़ना छोड़ें। यहां पर एक ही पक्ष को उभार रहे हैं। वह भी जैसा देश वैसा वेश करके उछाल रहे हैं। इसमें सत्ता पक्ष का भी हाथ है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को यह कह कर प्रचारित किया जा रहा है कि हिन्दू खतरे में हैं। हिन्दुस्तान में हर समस्या का हल हिन्दू-मुस्लिम में देखा जा रहा है। मेरे ख्याल से जो लोग इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, उनकी दाल अब गलने वाली नहीं क्योंकि कोई भी धर्म भूखे का पेट नहीं भर सकता और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता। धर्म की गलत व्याख्या करने वाले संभल जाएं।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

संवाद में अराजकता चिंताजनक

संसद में मौजूदा अराजकता लोकतांत्रिक संवाद के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता पैदा करती है। अडानी के आरोपों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्ष ईमानदार बहस में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या सत्तारारी पार्टी द्वारा इन विषयों पर चर्चा करने में सावधानी बरतना व्यापक रूप से भय का सामना करने की आनिच्छा का संकेत है? जैसा कि हम इस चुनावी संघर्ष को देख रहे हैं, क्या हम अपने नेताओं से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे राजनीतिक मंचों पर खुलेपन और पारदर्शिता का प्रोत्साहन देंगे? हमारे लोकतंत्र पर इसके प्रभाव बहुत बड़े हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।

अंशु भारती, बेगूसराय
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया आबदी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सहारा हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - राजेश मिश्र*।

दिल्ली में चुनाव

लड़ाई तेज

दिल्ली विधानसभा चुनाव निकट आने के साथ ही राजधानी में राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2025 निकट आने के साथ राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। प्रमुख पार्टियां कांटे की टक्कर वाले चुनाव की तैयारियों में लगी हैं जिनमें निर्वतमान आम आदमी पार्टी-आप, भारतीय जनता पार्टी-भाजपा तथा कांग्रेस शामिल हैं। विधानसभा की 70 सीटों के लिए हर पार्टी मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की रणनीति बना रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में प्रमुख शक्ति बनी हुई है। 2020 के चुनाव में 'आप' ने 70 सीटों में से 62 पर कब्जा जमाया था, जबकि भाजपा केवल 8 पर सिमट गई थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन 2025 का चुनाव पार्टी के समक्ष नई चुनौतियां ला रहा है जिसमें सत्ता-विरोधी भावनायें तथा ज्यादा आक्रामक विपक्ष शामिल हैं। 'आप' की रणनीति का एक सर्वाधिक आश्चर्यजनक आयाम वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से मैदान में उतारना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह 'आप' की सोची समझी रणनीति के अंतर्गत है क्योंकि वह दक्षिण दिल्ली में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है जो परंपरागत रूप से कठिन लड़ाई वाला क्षेत्र रहा है। सिसोदिया की प्रशासनिक क्षमता तथा लोकप्रियता इस महत्वपूर्ण क्षेत्र से उनकी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

केजरीवाल का एक और महत्वपूर्ण निर्णय अकेले चुनाव लड़ने का है। 'आप' और कांग्रेस के बीच गठबंधन के शुरुआती अनुमानों के बावजूद अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 'आप' का कांग्रेस से कोई चुनाव गठबंधन नहीं होगा। दोनों पार्टियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का कारण वैचारिक मतभेद तथा प्रतिद्वंद्विता का इतिहास है। संभवतः यह साझेदारी से होने वाले लाभों की संभावना पर भारी पड़ा है। इसके साथ ही 'आप' का नेतृत्व कांग्रेस के साथ गठजोड़ को बोझ मान सकता है क्योंकि दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस की उपस्थिति लगातार गिर रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मतों में विभाजन के कारण उसकी संभावना भी कमजोर होती है। कांग्रेस का दिल्ली में प्रतिबद्ध वोटबैंक है जो 'आप' को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर दिल्ली में जड़े फिर जमाने का प्रयास कर रही भाजपा अपने खास मतदाता आधार के साथ समर्थन के लिए ध्रुवीकरण वाले मुद्दे उठा सकती है। भाजपा ने मतदाताओं तक पहुंचने के प्रयास तेज किए हैं और वह संभवतः राष्ट्रवादी भावनाओं तथा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की उपलब्धियों पर जोर देना चाहेगी। लेकिन उसके समक्ष प्रमुख शहरी क्षेत्रों में 'आप' की चुनौती तोड़ना है। कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत कठिन है और उसे दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में प्रासांगिक बने रहने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। पार्टी के पास जमीनी स्तर पर संगठनात्मक ढांचे का अभाव है और उसके नेतृत्व ने हालिया वर्षों में ऐसे लोगों को हाशिए पर रखा है। लेकिन कांग्रेस अल्पसंख्यक मतदाताओं तथा अपने परंपरागत मतदाताओं से मजबूती से जुड़ने का प्रयास कर अपनी चुनावी स्थिति मजबूत कर सकती है। कांग्रेस से गठबंधन न करने का 'आप' का निर्णय उसका विश्वास प्रकट करता है, लेकिन यह विपक्ष की संभावित एकजुटता का मुकाबला करने की उसकी क्षमता पर भी सवाल खड़े करता है। उम्मीदवारों के प्रचार अभियान शुरू करने के साथ ही राजधानी में विचारधाराओं, वादों और व्यक्तियों के बीच संघर्ष तेज होगा। वर्तमान समय में सबकी नजरें दिल्ली में उभरती चुनावी रणनीतियों पर लगी हैं क्योंकि यही चुनावी रणनीतियां ही दिल्ली में एक और कठिन चुनाव संघर्ष का परिणाम तय करेंगी।

सीरिया में नया ऐतिहासिक मोड़

असद सरकार का पतन सीरिया के उथलपुथल वाले इतिहास में एक नया मोड़ है। इससे स्थायित्व की दिशा में देश के मार्ग पर महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं।

बी के सिंह
(लेखक, लेखक सेवानिवृत्त वन अधिकारी हैं)

सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार विद्रोही समूहों का सामना कर रही थी। उसे रूस, ईरान, लेबेनान और हिजबुल्ला का 2011 से ही समर्थन प्राप्त था। लेकिन विद्रोहियों द्वारा पश्चिमोत्तर शहर अलेप्पो पर कब्जे के दस दिन के भीतर तथा हमा और होम्स पर कब्जे के बाद राजधानी दमिश्क का 8 दिसंबर को उनके नियंत्रण में आना बहुत आश्चर्यजनक है। विद्रोही शक्तियों की पकड़ में आने से पहले राष्ट्रपति असद अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रूस भाग गए। उनको मास्को ने शरण दी है।

बशर के पिता के बाद उनको छोटे भाई को वारिस बनाया जाना था, पर उनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। इसके बाद सीरिया में अपने पिता का स्थान लेने के लिए असद को लंदन से बुलाया गया जहां वे नेत्र चिकित्सक के रूप में काम कर रहे थे। वर्ष 2000 में राष्ट्रपति पद पर आने के शुरुआती महीनों में उनको एक सुधारवादी तथा जन-समर्थक नेता के रूप में देखा जाता था। यह स्थिति उनके पिता हाफिज अल असद के तीन दशक तक चले शासन के उलट थी जब उन्होंने कठोरता से शासन किया था। लेकिन 2011 में लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन उभरने के बाद उन्होंने विरोध को कुचलने के लिए अपने पिता की निर्मम रणनीतियां अपनाईं।

यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया और उन्होंने विपक्ष नियंत्रित क्षेत्रों पर हमलों के लिए सेना का पूरा उपयोग किया। असद सरकार के सभी समर्थक धीरे-धीरे कमजोर होते गए और लगातार जारी युद्ध के समर्थन के कारण उनका आधार सिकुड़ता चला गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि रूसी बलों को यूक्रेन के युद्ध में भारी चुनौती मिल रही थी। युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों के हताहत होने के कारण रूस ने सीरिया से अपने सैनिकों को आंशिक रूप से वापस बुला लिया था और वह युद्ध जारी रखने के लिए विदेशी नागरिकों को भी अपनी सेना में भर्ती कर रहा था। पिछले लगभग तीन साल से यह प्रक्रिया जारी थी। इज़राइल पर 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के आतंकी हमले और गाजा में इज़राइल की प्रतिक्रिया से भी पश्चिम एशिया में टकराव के नए आयाम पैदा हुए थे।

ईरान ने लेबेनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती जैसे आतंकी समूहों का समर्थन करने के साथ ही गाजा में इज़राइल बमबारी की निन्दा की तथा इज़राइल के साथ लड़ाई के अन्य मोर्चे खोल दिए। इससे ईरान की स्थिति कमजोर हुई और हिजबुल्ला असद सरकार को अतिरिक्त सहायता नहीं प्रदान कर सका। इसके साथ ही 13 साल के गृहयुद्ध ने सीरियाई सेना को बहुत थका दिया था। सीरिया सरकार की नौकरशाही और राजनेताओं में भ्रष्टाचार तथा पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उसकी अर्थव्यवस्था लगभग निर्जीव हो गई थी। अंकारा में राष्ट्रपति इर्दोगान तुर्की में रहने वाले लगभग तीन मिलियन सीरियाई प्रवासियों का बोझ ढो रहे थे। सीरिया ने प्रवासियों को इस आधार पर वापस लेने से इनकार कर दिया था कि उनके देश ने सीमावर्ती क्षेत्रों में उनके देश पर अवैध कब्जा कर रखा था।

ऐसे में असद के पास पिछले साल अरब लीग में शामिल होने का विकल्प था, पर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया जिससे अरब देश उनका विरोध करने लगे। इसके पहले ईरान और रूस की सहायता से वे अपने खिलाफ चले 'अरब वसंत' विद्रोह से बचने में सफल हुए थे जिसका प्रारंभ ट्यूनीशिया में 2011 में हुआ था। वर्तमान समय में सीरिया के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। हयात तहरीर अल शाम-एचटीएस एक सुन्नी इस्लामवादी चरमपंथी समूह है जिसने सीरिया के गृहयुद्ध में प्रमुख भूमिका अदा की है। इस समूह के नेतृत्व में अन्य समूहों ने दमिश्क पर कब्जा किया है। अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसके प्रमुख अबू मुहम्मद अल गोलानी पर 10 मिलियन डालर का ईनाम है। ब्रिटेन ने संकेत दिए हैं कि यदि अल्पसंख्यकों तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के वादे पूरे हुए तो वह एचटीएस से प्रतिबंध हटा सकता है। तुर्किए ने सीरिया के गृहयुद्ध में कुछ अन्य विद्रोही समूहों का समर्थन किया था जिनके एचटीएस से अच्छे संबंध नहीं हैं।

अमेरिका समर्थित कुर्द वाईपीजी मिलिशिया ने सीरिया के पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसे कुर्द डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी-पीवाईडी के नाम से भी जाना जाता है और इसके एचटीएस के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। इसी प्रकार सीरिया के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में दूसरे विद्रोही समूह सक्रिय हैं। ऐसे में विभिन्न समूहों का साथ आना तथा सीरिया की नई सरकार में साझीदार बनना बहुत कठिन है। अमेरिका के 900 सैनिक पूर्वोत्तर सीरिया में तैनात हैं। अमेरिका ने आईएसआईएस से मुकाबले के नाम पर अपनी उपस्थिति बनाए रखी है, पर वास्तव में उसका लक्ष्य सीरिया में सरकार बदलना था। अब अमेरिका स्पष्ट विजेता के रूप में सामने आया है।

विद्रोहियों द्वारा सीरिया तथा उसकी राजधानी दमिश्क पर कब्जे के बाद अब देश का भविष्य अनिश्चित है। सत्ता परिवर्तन के पहले दिन हथियारों, दुकानों और बैंकों की लूट हुई, जेलों को खाली कर दिया गया तथा रात में कर्फ्यू लगा, लेकिन दूसरे दिन राजधानी तथा अन्य शहरों में सामान्य स्थिति धीरे-धीरे बहाल होने लगी। मुख्य विद्रोही कमांडर अल-गोलानी ने असद के प्रधानमंत्री मुहम्मद जलाली तथा उप-राष्ट्रपति फैजल मेकडाड से मुलाकात कर सीरिया में अंतरिम सरकार का गठन किया है। इसके साथ ही गोलानी ने सार्वजनिक घोषणा की है कि वे नागरिकों का उत्पीड़न करने वाले सरकारी अधिकारियों की सूची जारी करेंगे।

इस बीच सीरिया में इज़राइल, अमेरिका और तुर्की के बलों ने हवाई हमले कर ईरान और रूस समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया है जो असद सरकार गिरने के बाद बड़ा धक्का है। दोनों देश उसके प्रमुख सहयोगी थे। सुन्नी इस्लामवादी समूहों के सीरिया पर कब्जे के बाद मुख्यतः शिया जनसंख्या वाला ईरान इज़राइली हमलों के प्रति और संवेदनशील हो गया है। हाल के महीनों में असद का सीरिया और ईरान एक दूसरे की मदद नहीं कर सके, जबकि इसकी बहुत आवश्यकता थी। सीरिया एकमात्र ऐसा देश था जो इज़राइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान की 'प्रतिरोध धुरी' में शामिल था। वर्तमान समय में यह धुरी कमजोर हो गई है और हिजबुल्ला का पतन भी नहीं रोका जा सकता है। ईरान तथा ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्पस-आईआरजीसी द्वारा असद सरकार के समर्थन को ईरानी जनता ने पसंद नहीं किया है। ऐसे में असद सरकार का पतन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई के लिए भी खतरे की घंटी है।

असद के पतन से ईरान में विद्रोही समूह भी मजबूत होंगे जहां महिलायें पहले से ही अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इन सबसे ईरान में भी सरकार बदल सकती है। हालांकि, पिछले दो सप्ताह की हिंसा में असद सरकार के पतन के साथ ही शिया मुस्लिम जनसंख्या हजरत अली की बेटी सैय्यदा जैनब और पैगंबर मुहम्मद की पड़पोती फ़ातिमा की समाधियों की सुरक्षा का प्रयास कर रही थी। इन पवित्र स्थलों की सुरक्षा के लिए ईरान, ईराक और पाकिस्तान से शिया सीरिया जा सकते हैं। ये पवित्र स्थल दमिश्क के दक्षिण में अल-सिट में स्थित हैं। 2012 से यह शहर पड़ोसी सुन्नी कस्बों के हथियारबंद उग्रवादियों के हमलों का शिकार रहा है।

अनेक शिया परिवारों को दक्षिण दमिश्क में अपने घर छोड़ने पड़े हैं। सुन्नी मुस्लिम सीरिया की जनसंख्या का 74 प्रतिशत हैं, जबकि शिया केवल 3 प्रतिशत हैं। ऐसे में शिया पवित्र स्थानों की सुरक्षा शिया-सुन्नी के बीच टकराव का मुद्दा बन सकता है। सवाल है कि क्या सीरिया का लोकतंत्र में परिवर्तन सहज होगा? यह केवल विभिन्न विद्रोही समूहों द्वारा सत्ता में साझा करने पर ही संभव है।

अगले जीवन की तैयारी

> जन्म और मृत्यु के बीच हमारी यात्रा अपरिहार्य है, इसलिए हमें खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए।

अजीत कुमार विश्नोई
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि हम शाश्वत आत्मा हैं। हम जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं और जीवन-पर्यंत अलग-अलग शरीर प्राप्त करते रहते हैं। शांति देवी के पुनर्जन्म के बारे में आप क्या कहेंगे? उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन उन्हें मथुरा में अपने पिछले जीवन के बारे में बहुत कुछ याद था। उनकी यादें इतनी सम्मोहक थीं कि महात्मा गांधी की दिलचस्पी बढ़ गई।

उन्होंने मामले का अध्ययन करने के लिए 15 प्रमुख व्यक्तियों की एक समिति गठित की। वे शांति देवी को मथुरा ले गए और वे सभी प्रासंगिक विवरण याद करने में सक्षम थीं, भले ही वे अपने वर्तमान जीवन में कभी मथुरा नहीं गई थीं। पुनर्जन्म पर एक प्रमुख विशेषज्ञ डॉ इयान स्टीवेंसन उनका साक्षात्कार करने के लिए भारत आए। उन्होंने लिखा कि उनकी यादों के कम से कम 24 कथन सत्यापन योग्य तथ्यों से मेल खाते हैं।

इन दिनों टीवी चैनल पुनर्जन्म की घटना में रुचि रखने लगे हैं। वे इसकी पुष्टि करने के लिए दुनिया भर से सबूत पेश कर रहे हैं। फिर, भगवद-गीता - शाश्वत ज्ञान की पुस्तक हमारे आत्मा होने के बारे में विस्तृत जानकारी से भरी हुई है। मैं सिर्फ एक श्लोक का हवाला दूंगा। जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा इस आत्मा के शरीर में परिवर्तन हैं, उसी तरह दूसरा शरीर प्राप्त करना भी एक ऐसा ही परिवर्तन है। (2.93) और इसकी अंतिम पुष्टि भगवान द्वारा कही गई बात है। क्या वह सर्वज्ञ नहीं है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को भी जानता है?

इस वास्तविकता के बारे में खुद को आश्वस्त करने के बाद, आइए देखें कि हम अपने वर्तमान जीवन से स्थानांतरण या पुनर्वास के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला है मानसिक रूप से तैयार होना। व्यक्तिगत रूप से, जब मेरे लिए उच्च अध्ययन के लिए यूएसए जाने का समय आया, तो मैंने कल्पना की कि आने वाले वर्षों में मेरा जीवन कैसे बेहतर होगा। मुझे यह भी एहसास हुआ कि नए देश में अनिवार्य रूप से कई चुनौतियाँ होंगी।

दूसरा यह था कि मैं अपने जीवन को यथासंभव आरामदायक बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, उसे अपने साथ ले जाऊं। मैंने आवश्यक कपड़े और थोड़े पैसे लिए, जो उस समय अनुमत थे। लेकिन मुख्य रूप से यह मेरे प्रमाण पत्र और मैंने उस समय तक जो सीखा था, वह था। शारीरिक परिवर्तन के लिए भी ऐसी ही तैयारी की आवश्यकता होती है, हालाँकि वे विवरण में काफी भिन्न होते हैं। पहला है ऐसे परिवर्तन के लिए मानसिक तैयारी। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा परिवर्तन अपरिहार्य है। और यह हमारे वर्तमान से बहुत बेहतर हो सकता है। भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है, वे शुद्ध और समृद्ध परिवार में जन्म लेते हैं। (6.41) इसलिए, यह आवश्यक है कि हम भी वर्तमान शरीर को छोड़ने से पहले ऐसा करें। हमें उस समय आध्यात्मिक गतिविधियों द्वारा भगवान की शरण में होना चाहिए।

निश्चित रूप से, हमें अपने कार्यों में यथासंभव धर्म का पालन करना चाहिए। हमें मुख्य रूप से सतोगुण में रहना चाहिए, जो पवित्रता के कारण प्रकाश देने वाला और रोगों से मुक्त है। (14.6) हमें वासना, लोभ, क्रोध, घृणा आदि बुरी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें बहुत सारे अच्छे कर्मों का संचय करना चाहिए क्योंकि हमें केवल यही करने की अनुमति है।

लेकिन हमें अपने आप पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए क्योंकि हम धीरे-धीरे ही सुधार कर सकते हैं। जो भी, हम वर्तमान में कर रहे हैं, हमें उसे बेहतर करना चाहिए। चूँकि वर्तमान भविष्य को निर्धारित करता है, इसलिए वर्तमान को पूरी तरह से सुरक्षित रखना होगा। क्या हम आवश्यक तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं? हमें कम से कम मानसिक रूप से तो अभी से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। जब ??हमारे पास ऐसा करने का समय है, तो ऐसा न करना बहुत शर्म की बात होगी। जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, उन्हें ईश्वर प्रोत्साहित करता है; वे सफल होंगे।

आप की बात

धर्मस्थलों पर सुप्रीम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम पर सुनवाई करते हुए मस्जिदों से जुड़े मुकदमों पर रोक लगा दी। संभल, जौनपुर और बदायूं की मस्जिदों के मामलों पर इसका असर पड़ेगा। निचली अदालतें सर्वेक्षण का आदेश नहीं दे सकेंगी। कोई नया मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। यूपी कॉलेज मजार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश में कई प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले, यह फैसला मस्जिदों से जुड़े मुकदमों पर रोक लगाता है, जिससे इन मामलों में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा। इसके अलावा, निचली अदालतें सर्वेक्षण का आदेश नहीं दे सकेंगी, जिससे इन मामलों में कोई नया सर्वेक्षण नहीं हो सकेगा। इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि यह देश में धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर शांति और स्थिरता लाने में मदद करेगा। यह फैसला यह भी सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों की बात सुनी जाए और एक न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाए। हालांकि, इस फैसले का एक नकारात्मक प्रभाव यह हो सकता है कि यह कुछ लोगों को अपने धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ने से रोक सकता है। यह फैसला यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि कुछ धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। अंत में, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश में कई प्रभाव पड़ेंगे।

-सुभाष बुड़ावनवाला, रतलाम

शहीदे आज़म का अपमान

पाकिस्तान के लाहौर की अदालत में शहीद भगतसिंह के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है वह कतई स्वीकार्य नहीं है। इसका हर स्तर पर व्यापक विरोध होना चाहिए। मामला लाहौर के शादमान चौक का नाम भगतसिंह के नाम पर रखे जाने का है जिसके लिए वहां सक्रिय भगतसिंह फाउंडेशन विगत 20 वर्षों से प्रयासरत है।शादमान चौक उस केंद्रीय कारागार के परिसर में आता है जिस कारागार में भगतसिंह को फांसी दी गई थी। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फाउंडेशन 2012 में इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट ले गया वहां के नगर निगम ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि यह मांग अस्वीकार्य है इस अस्वीकृति का आधार यह बताया गया कि वे क्रांतिकारी नहीं अपराधी थे जिसे वर्तमान परिभाषा में आतंकी कहा जाता है। यानि उस अदालत में भगतसिंह जैसी हुतात्मा को अपराधी आतंकी करार दिया गया। दुनियाभर में आतंकवाद की फेक्ट्री के रुप में कुख्यात पाकिस्तान को भगतसिंह जैसी हुतात्मा को आतंकी एवं अपराधी कहना उसके दिमागी दिवालियेपन की मिसाल है।पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि जिस भारत की आजादी के लिए उन्होने अपना सर्वस्व जीवन समर्पित किया उस समय पाकिस्तान भी उसी भारत का हिस्सा था। लेकिन, नफरत की बुनियाद पर निर्मित पाकिस्तान भला यह कहां समझेगा।

- विमलेश पगारिया, बदनावर, मप्र

सराहनीय कदम

नशा मुक्त रंगला पंजाब, का आयोजन सराहनीय कदम है। देश के अन्य प्रांतों को भी ऐसे ही आयोजन करने चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को नशे की लत ने जहां खोखला कर दया है। वहीं वहीं इन नशा खोरों की वजह से समाज में अपराध बढ़ो जा रहे हैं। नशे खिलाफ कदम उठाने के लिए कई प्रभावी तरीके हैं। सबसे पहले, नशे के प्रति जागरूकता फैलाना आवश्यक है। लोगों को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम यह है कि नशीली दवाओं की आपूर्ति को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार को नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए और उनका पालन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा, नशे के आदी लोगों को इलाज और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को नशे के आदी लोगों के लिए इलाज और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने चाहिए, जहां वे अपनी लत से छुटकारा पा सकें और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित हो सकें।नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज और परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। समाज को नशे के प्रति जागरूकता फैलाने और नशे के आदी लोगों को समर्थन और प्रेरणा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

- विभुक्ति बुपक्या, खाचरोद

चिंताजनक विषय

बिहार निवासी एवं बेंगलौर में ए आई इंजीनियर के रूप के सेवारत अतुल सुभाष द्वारा की गई आत्महत्या ने लचर क़ानून व्यवस्था की कलई खोल दी। सच भी यही है कि लम्बित न्याय व्यवस्था ने आम आदमी को इतना त्रस्त कर दिया है कि वह मुक़दमे के भंवर से निकल नही पाता। पारिवारिक वाद और भरण पोषण भत्ते के मुकदमे में एक सौ बीस तारीख़ लगना न्याय व्यवस्था की कमजोरी को प्रमाणित करता है। यह विडम्बना ही है कि एक ओर तो त्वरित न्याय की बात की जाती है। शीघ्र न्याय के लिए फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट बनाई जा रही हैं। दूसरी ओर न्यायिक क़ानूनों में महिलाओं को मिले विशेष अधिकारों का दुरुपयोग कई बार पुरुष उत्पीड़न का आधार बनता है। ऐसी स्थिति में परिवार न्यायालय तथा परम्परागत न्याय में अनावश्यक विलम्ब पीड़ित व्यक्ति के शोषण में अग्रणी भूमिका निभाता है। जिस कारण आम आदमी का न्याय व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाता है तथा वह आत्महत्या जैसा आत्घाती कदम उठाने हेतु बाध्य हो जाता है। अतुल सुभाष की मौत का दोषी दहेज क़ानून तो है ही, किंतु न्यायपालिका का लचर रवैया भी इस घटना के लिए कम दोषी नही है।

- सुधाकर आशावादी, मेरठ

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।